

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 26, 2001 (ज्येष्ठ 5, 1923)]

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26, 2001 (JYAISTHA 5, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV
[PART IV]

गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Controller of Publication

CHANGE OF NAMES

I, hitherto known as **RABINDRA TARINI** son of LT. TARINI employed as Male Safaiwala in the Chief Health Inspector (NTS) S. E. Rly., Kharagpur residing at the 657/B, out house, 6th Avenue P. O. Kharagpur have changed my name and shall hereafter be known as **RABINDRA MADHAI**

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RABINDRA TARINI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as **SRI BIDESHI MAGUNI** son of LT. MAGUNI employed as Medical Safaiwala in the Chief Health Inspector/NTS S. E. Rly. Kharagpur residing at Traffic Harijan Colony, P. O. Kharagpur, Dt. Midnapur have changed my name and shall hereafter be known as **SRI BIDESHI SATHU**.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SRI BIDESHI MAGUNI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as **RAJESH MADHUKAR MORE** son of **MADHUKAR MANOALRAM MORE** employed as Labour SS in Ammunition Factory, Khadki Pune-411 003 residing at the Babirao Landge Chawl behind Sambhaji Co-op. Bank Kasarwadi, Pune-411034 have changed my name and shall hereafter be known as **RAJESH MADHUKAR MORWAL**.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJESH MADHUKAR MORE
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as **MISS LEENA SARANG** daughter of **BABURAO** employed as private Medical Practitioner (Individual) residing at the AT PO: Kadoli, Tal. & Dt. :Belgaum have changed my name and shall hereafter be known as **MRS. SAI SHIVAJI ANGOLKAR**.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MISS. LEENA SARANG
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as **SNEH** daughter of **Shri RAJKUMAR** residing at B-1006 Shastri Nagar, Delhi-110052 have changed my name and shall hereafter be known as **LAXMI SINGH**.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SNEH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as **SMT. NEERA** Wife of **Shri RAKESH CHAND DHIMAN** employed as Sr. TOA(G)-II in the O/o C.G.M.T., B.S.N.L. H.P. Circle, Kasumpti, Shimla-171009 residing at the Flat No. 9, Block No. C-17 SDA Colony Vikas Nagar Shimla-171009, have changed my name and shall hereafter be known as **SMT. NEERA DHIMAN**.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SMT. NEERA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as **RAKESH CHAND** S/o o Late **Sh. DHANI RAM** employed as TOA (G)-II in the O/o Executive Engineer (C) BSNL Telecom civil division Khalini Shimla-171002 residing at Flat No. 9, Block No. C-17 SDA Colony, Vikas Nagar, Shimla-171009 have changed my name and shall hereafter be known as **RAKESH CHAND DHIMAN**.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAKESH CHAND
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as **SADISH NAIR** son of **Shri K. P. GOPALAN NAIR** employed as Trademan (F) in the Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Mumbai 400085 residing at Meerabai D-7, Anushakti Nagar, Mumbai have changed my name and shall hereafter be known as **SATISH GOPALAN NAIR**.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SADISH NAIR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as **SAKTI** s/o Late **PRAN KRISHNA** employed as R plater Gr.-I holding T/No. 39102 (Shop No. 39) S. E. Railway Workshop KGP residing at Village Kismat, Madhura, P. O. Samraipur, P. S. Kharagrur (Local), District Midnapore (West Bengal) have changed my name and shall hereafter be known as **SAKTI PADA CHAKRABORTY**, S/o Late **PRAN KRISHNA**.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAKTI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as **UMA CHAND DAS** son of **Shri LAGAN CHAND DAS** an employee of No 1 Advance Base Stationery Depot, C/c 59 APO a resident of Oil India Gate Narangi have changed my name and shall hereafter be known as **UMA NATH RAI**.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

UMA CHAND DAS
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as **GANGA DUTT** son of **Sh. GOVERDHAN** employed as U.D.C. in the Ministry of SSI & ARI, DC(SSI), Nirman Bhavan, New Delhi residing at 162/12, R.K. Puram, New Delhi-110022 have changed my name and shall hereafter be known as **GANGA DUTT PANDEY**.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GANGA DUTT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as **MAJ (Mrs) DIPALI KARMAKAR** Daughter of **DWIJENDRAMOHAN KARMAKAR** employed as Nursing Officer in the Military Nursing Service (Base Hospital Barrackpore) residing at 43/2, Middle Road, Barrackpore, 24-Pgs. (N) have changed my name and shall hereafter be known as **MAJ(Mrs) DIPALI CHATTERJEE**.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MAJ (Mrs) DIPALI KARMAKAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as **PRIYATMA KUMARI** daughter of Late **Shri BHARAT SINGH** residing at C-3/36, Keshav Puram, Lawrance Road, Delhi-110035 have changed my name and shall hereafter be known as **PRIYA**.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRIYATMA KUMARI
[Signature (in existing old name)]

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

एन एस ई (फ्यूचर एंड ऑप्शन्स) कारोबारी विनियमों में निहित उपबंध यहाँ नीचे दी गई सीमा तक संशोधित किए गए हैं:-

1. निम्नलिखित पदों की परिभाषाएं परिभाषा अध्याय में उपयुक्त स्थानों पर समाहित की गई हैं:

अमरीकी शैली की विकल्प संविदा

अमरीकी प्रकार की विकल्प संविदा का अर्थ है एक विकल्प संविदा जिसे समाप्ति दिन की अथवा उससे पूर्व किसी भी दिन प्रयोग किया जाए।

मुद्रा अथवा समीपस्थ मुद्रा पर सौदा मूल्य

मुद्रा अथवा समीपस्थ मुद्रा पर सौदा मूल्य विकल्प संविदा का समय-समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली अन्तर्निहित ऐसी सीमा पर अथवा उसके भीतर सौदा मूल्य है।

निर्धारित शैली विकल्प संविदा

निर्धारित शैली विकल्प संविदा का अर्थ ऐसी विकल्प संविदा है, जिसका प्रयोग विभिन्न विकल्प संविदाओं के लिए समय-समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा जैसा निर्दिष्ट किया जाए किसी भी समय विकल्प के लिए निर्धारित मूल्य पर

अन्तर्निहित का मूल्य पहुँचने पर समय-समय पर अथवा उसके पूर्व स्वतः किया जाएगा।

संविदा मूल्य

संविदा मूल्य विकल्प संविदा के सौदा मूल्य के नियमित/बाजार लौट आकार को गुणा करके निकाला गया मूल्य है।

प्रयोग

प्रयोग का अर्थ विकल्प के धारक द्वारा एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और विनियमों के अनुसार और उनके अधीन अधिकार के लिए प्रार्थना है।

प्रयोग मूल्य

प्रयोग मूल्य या सौदा मूल्य व्यापार (ट्रेडिंग) का प्रति इकाई मूल्य है, जिस पर विकल्प धारक को विकल्प के प्रयोग पर अन्तर्निहित को या तो खरीदने अथवा बेचने का अधिकार है।

प्रयोग शैली

विकल्प की प्रयोग शैली उस मूल्य का संदर्भ देती है जिस पर और/अथवा समय जब धारक द्वारा विकल्प प्रयोग योग्य होता है। यह या तो अमरीकी शैली विकल्प अथवा यूरोपीय शैली विकल्प अथवा

निर्धारित शैली विकल्प या ऐसा अन्य प्रयोग शैली विकल्प हो सकता है, जिसे संगत प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित करें।

समापन समय

समापन समय विकल्प संविदा के समापन दिन को कारोबारी घंटे समाप्त होने का अथवा ऐसा अन्य समय है, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

यूरोपीय शैली विकल्प संविदा

यूरोपीय शैली विकल्प संविदा का अर्थ ऐसी विकल्प संविदा है, जिसका प्रयोग केवल समापन समय पर अथवा उसके पूर्व समापन दिवस को अथवा ऐसे अन्य दिन और अथवा समय पर किया जा सकता है, जिसे संगत प्राधिकारी समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

मुद्रा सौदा मूल्य में

मुद्रा सौदा मूल्य में, रखे गए विकल्प (पुट ऑप्शन) के मामले में, विकल्प संविदा का वह सौदा मूल्य है जो 'मुद्रा अथवा समीपस्थ मुद्रा पर' सौदा मूल्य से अधिक होते हैं।

मांग विकल्प (कॉल ऑप्शन) के मामले में, मुद्रा सौदा मूल्य में विकल्प संविदा का वह सौदा मूल्य है जो 'मुद्रा अथवा समीपस्थ मुद्रा पर' सौदा मूल्य से कम होता है।

विकल्प श्रेणी

एक ही किस्म और शैली की विकल्प संविदाएं, जो समान अन्तर्निहितों को शामिल करती हैं, विकल्प श्रेणी होती हैं।

विकल्प धारक

विकल्प धारक वह व्यक्ति है, जिसने विकल्प संविदा खरीदी है।

विकल्प बिक्रेता

विकल्प विक्रेता ऐसा व्यक्ति है, जिसने किसी विकल्प संविदा की बिक्री की हो।

मुद्रा से बाह्य सौदा मूल्य

‘पुट ऑप्शन’ के मामले में, मुद्रा से बाह्य सौदा मूल्य, उस विकल्प संविदा का सौदा मूल्य है, जो मुद्रा अथवा समीपस्थ सौदा मूल्य से कम होता है।

मांग विकल्प (कॉल ऑप्शन) के मामले में, मुद्रा से बाह्य सौदा मूल्य उस विकल्प संविदा का सौदा मूल्य है, जो ‘मुद्रा अथवा समीपस्थ मुद्रा पर’ सौदा मूल्य से अधिक होता है।

प्रीमियम

प्रीमियम वह मूल्य है, जिसका भुगतान क्रेता विकल्प संविदा द्वारा सूचित अधिकारों के लिए विकल्प के बिक्रेता को करता है।

निपटान मूल्य

प्रयोग निपटान के संबंध में, निपटान मूल्य प्रयोग के दिन अन्तर्निहित का अंतिम मूल्य अथवा ऐसा अन्य मूल्य है, जिसका निर्णय संगत प्राधिकारी, समय-समय पर करे।

सौदा मूल्य अन्तराल

सौदा मूल्य अन्तराल किन्हीं दो उत्तरोत्तर सौदा मूल्यों के बीच का वह अन्तर है जिसे संगत प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित करे।

विकल्पों की श्रृंखला

विकल्पों की श्रृंखला का अर्थ समान प्रयोग मूल्य और समापन दिन वाले एक ही श्रेणी के सभी विकल्प हैं।

विकल्प की किस्म

विकल्प की किस्म का अर्थ या तो रखने (पुट) अथवा मांग (कॉल) के रूप में एक विकल्प का वर्गीकरण है।

अन्तर्निहित

अन्तर्निहित वह है जिसके संदर्भ में व्युत्पन्न संविदाओं की समय-समय पर एक्सचेंज द्वारा व्यापार करने की अनुमति होती है।

2. निम्नलिखित परिभाषा संशोधित की गई है:

नियमित लॉट/बाजार लॉट आकार का अर्थ है यूनितों की संख्या जिन्हें एक विनिर्दिष्ट व्युत्पन्न संविदा, जिसे एक्सचेंज के वायदा और विकल्प (एफ.एंड.ओ.) खण्ड के संगत प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, में बेचा अथवा खरीदा जा सकता है।

3. विनियमों के अध्याय III के मौजूदा विनियम 3.1.1 के बाद निम्नलिखित विनियम संनिविष्ट किए जाते हैं:

उद्धृत

3.1.2 संगत प्राधिकारी समय-समय पर प्रत्येक महीने के लिए पिछले महीने की संविदाओं की समाप्ति के बाद क्रमशः पुट/काल विकल्पों के लिए ऐसे सौदा मूल्यों ('मुद्रा में', मुद्रा पर अथवा समीपस्थ मुद्रा पर 'और' मुद्रा से बाह्य) पर नई संविदाओं की शुरुआत करें।

3.1.3 संगत प्राधिकारी समय-समय पर क्रमशः 'कॉल' और 'पुट' दोनों विकल्पों के लिए एक अथवा अधिक नई संविदा (ओं) की शुरुआत करे, जब कभी अन्तर्निहित परिवर्तनों के मूल्य, इसके द्वारा निर्धारित पूर्व परिभाषित पैरामीटरों से बाहर हों।

- 3.1.4 संगत प्राधिकारी अन्तर्निहित के लिए समय-समय पर मानदण्ड निर्धारित करे, जिसके संदर्भ में विकल्प संविदाओं को एक्सचेंज के वायदा एवं विकल्प (एफ एंड ओ) खण्ड पर व्यापार किए जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

अनुद्धृत

4. मौजूदा विनियम 3.1.2 को 3.1.5 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाता है।
5. निम्नलिखित विनियम, विनियमों के अध्याय III के पुनः संख्यांकित विनियम 3.1.5 के बाद निम्नलिखित विनियम सन्निविष्ट किए जाते हैं।

उद्धृत

- 3.1.6 संगत प्राधिकारी समय-समय पर किसी विकल्प की प्रयोग शैली निर्धारित करे।
- 3.1.7 संगत प्राधिकारी अन्तर्निहित अथवा ऐसे अन्य घटकों और परिस्थितियों, जिसमें निवेशक ब्याज, बाजार परिस्थितियां आदि शामिल हैं, जिनका निर्णय समय-समय पर किया जाए, के मूल्य पर परिवर्तनों पर आधारित भिन्न प्रयोग मूल्यों वाली विकल्प संविदाओं की अतिरिक्त श्रृंखला शुरू करे।

अनुद्धृत

6. मौजूदा विनियम 3.1.3 को 3.1.8 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाता है।
7. निम्नलिखित विनियम, विनियमों के अध्याय III के पुनः संख्यांकित विनियम 3.1.8 के बाद सन्निविष्ट किए जाते हैं:

उद्धृत

- 3.1.9 यदि संगत प्राधिकारी का यह मत हो कि कोई विशेष अन्तर्निहित काफी समय से विकल्प कारोबार के लिए अपनी अपेक्षाएं पूरा नहीं करता अथवा कारोबार के लिए पात्र नहीं है अथवा यदि संगत प्राधिकारी ऐसे कारणों, जिन्हें यह उचित समझता हो, से किसी विशेष विकल्प श्रृंखलाओं में कारोबार को जारी न रखने का निर्णय करता है, तो यह उस अन्तर्निहित पर नए विकल्प शुरू करने को रोके और ऐसी परिस्थितियों में उन सौदों पर प्रतिबंध लगाए जो नवीन शुरू की गई विकल्प श्रृंखलाओं में नई स्थितियों को खोलते हैं।

- 3.1.10 संगत प्राधिकारी किसी विशेष विकल्प संविदा में कारोबार को समाप्त करे यदि ऐसी संविदा में कोई खुली स्थितियां न हों।

- 3.1.11 संगत प्राधिकारी एक ही अन्तर्निहित पर 'पुटों' अथवा 'कालों' की कुल संख्या को सीमित करे यदि कोई एकल निवेशक अथवा सामंजस्य से

काम करने वाल निवेशकों का समूह समय-समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित ऐसी समयावधि के दौरान प्रयोग करे। संगत प्राधिकारी बाजार के उसी पक्ष पर (अर्थात् धारित कालों और लिखित 'पुटों' अथवा धारित 'पुटों' और लिखित 'कालों' पर) एकल अन्तर्निहित निवेश एकल निवेशक के खातों में अथवा सामंजस्य से कार्य करने वाले निवेशकों के समूह के खातों में लाया जाए, के संबंध में विकल्पों की अधिकतम संख्या को भी सीमित करे।

अनुद्धृत

8. मौजूदा विनियम 3.7.3 निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है:

उद्धृत

एक्सचेंज/क्लियरिंग कारपोरेशन/क्लियरिंग सदस्य का वायदा और विकल्प (एफ एंड ओ) खण्ड ऐसी राशियों की व्युत्पन्न संविदा पर प्रारंभिक मार्जिन और ऐसे अन्य मार्जिनों का ऐसे तरीके से उद्ग्रहण करे जिन्हें संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट किया गया हो।

अनुद्धृत

9. निम्नलिखित विनियम, विनियमों के अध्याय III के मौजूदा विनियम 3.8 के बाद सन्निविष्ट किए जाने हैं:

उद्धृत

3.9 संगत प्राधिकारी निम्नलिखित को समय-समय पर निर्धारित करे:

- क. वह ढंग विधि अथवा तरीका जिसके अनुसार कारोबारी सदस्य द्वारा निर्वाचक से प्रीमियम का संग्रहण किया जाएगा।
- ख. वह ढंग, विधि अथवा तरीका जिसके अनुसार कारोबारी सदस्य निर्वाचक से मार्जिनों का संग्रहण करेगा।
- ग. वह तरीका अथवा रूप जिसमें और समय जिसके अंदर निर्वाचक कारोबारी सदस्य को प्रयोग नोटिस देगा
- घ. वह तरीका अथवा रूप जिसमें और वह समय जिसके अंदर कारोबारी सदस्य इसके निर्वाचक खाते में प्रयोग नोटिस का समुद्देश करेगा और
- ङ. भिन्न विकल्प संविदाओं के लिए प्रयोग का ढंग और विधि।

अनुद्धृत

- 10. आवश्यक परिवर्तन समाहित करने के बाद संविदा टिप्पणी का संशोधित प्रपत्र अनुबंध I के रूप में दिया गया है।
- 11. आवश्यक परिवर्तन समाहित करने के बाद संशोधित 'जोखिम प्रकटन दस्तावेज अनुबंध II के रूप में दिए गए हैं।

कृते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिए

जे. रविचन्द्रन

जे. रविचन्द्रन

कंपनी सचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष

अनुबंध । क

संविदा टिप्पणी

केवल मुंबई में न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन निर्वाचकों के लिए ब्रोकरों और एजेंटों के रूप में कार्य करने वाले सदस्यों द्वारा जारी की गई संविदा टिप्पणी

दूरभाष सं०

टेलेक्स सं०

फैक्स सं०

भागीदार/मालिक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम संबोधित कार्यालय का पता दूरभाष सं० टेलेक्स सं०/फैक्स सं०

सदस्य की कोड संख्या

सदस्य का नाम

संविदा सं०

सदस्य का पता

तारीख

सदस्य की सेवा पंजीकरण सं०

संबंधित स्टाम्प अधिनियम के अधीन प्रयोज्य उपबंधों

के अनुसार स्टाम्प किया जाना है

अन्य उद्ग्रहण, यदि कोई हो:

दलाली बताए गए अनुसार भारित की गई है और दलाली के सरकारी मूल्य से अनधिक दर पर रही है और अलग से दर्शाई गई है। यह संविदा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि०, मुम्बई के नियमों, उपनियमों और विनियमों तथा प्रयोगों के अधीन है। यह संविदा केवल मुम्बई में न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन है।

इन लेन देनों से आपके और मेरे/हमारे बीच पैदा होने वाले मतभेद अथवा विवाद की स्थिति में, यह मामला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि०, मुम्बई के नियमों, उपनियमों और विनियमों में यथानिर्धारित विवाचन को भेजा जाएगा।

यह संविदा संघटित होती है और पन्ने के दूसरी ओर आपके और मेरे/हमारे बीच यथानिर्धारित करार संघटित हुआ माना जाएगा। उस संविदा (किसी ऐसे प्रश्न सहित कि क्या ऐसे लेन-देनों सौदों अथवा संविदाओं की प्रविष्टि की गई है अथवा नहीं) की तारीख से पूर्व अथवा बाद में हुए किसी लेन-देन, सौदे ओर संविदाओं के संबंध में सभी दावे (चाहे स्वीकार किए गए हों अथवा नहीं) मतभेद और विवाद प्रस्तुत किए जाएंगे और पन्ने के दूसरी ओर मुद्रित संविदा के एक हिस्से में यथानिर्धारित नियमों, उपनियमों और उपबंधों के अनुसार विवाचन द्वारा निर्णीत किए जाएंगे।

मुम्बई
तारीख

आपका
सदस्य, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
ऑफ इंडिया लि०

विवाचन से संबंधित उपनियमों और विनियमों से उद्धरण

1. कारोबारी सदस्यों के बीच परस्पर और कारोबारी सदस्यों और निर्वाचकों के बीच पैदा हुए अथवा एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन किए गए किसी लेन-देन, संविदा और सौदे के संबंध में हुए सभी, दावों, मतभेदों अथवा विवादों, अथवा संयोगात्मक रूप से उनसे संबंधित अथवा उनके अनुसरण में हुए किसी विवाद अथवा उनसे संबंधित पार्टियों की वैधता, निर्माण, व्याख्या, पूर्ति अथवा अधिकारों, बाध्यताओं और देयताओं से संबंधित विवादों को और जिसमें ऐसा कोई प्रश्न शामिल है कि क्या ऐसे लेन-देनों, सौदों और संविदाओं की प्रविष्टि की गई है अथवा नहीं, इन उपनियमों और विनियमों के अनुसार विवाचन को प्रस्तुत किया जाएगा।
2. सभी लेन-देनों, संविदाओं और सौदों में, जिन्हें एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन किया जाता है अथवा किया जाना माना जाता है इन उपनियमों और विनियमों में यथानिर्धारित विवाचन से संबंधित अनुबंध बनाए जाएंगे और उन्हें लेन-देनों, संविदाओं और सौदों का बना हुआ हिस्सा माना जाएगा और पार्टियों को विवाचन करार में लिखित में प्रविष्टि हुआ माना जाएगा, जिसके द्वारा उपर्युक्त खण्ड गंध में उल्लिखित प्रकृति के सभी दावों, मतभेदों अथवा विवादों को इन उपनियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार विवाचन को प्रस्तुत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त खण्ड (1) में उल्लिखित सभी दावों, मतभेदों अथवा विवादों को, दावा, मतभेद अथवा विवाद पैदा होने की तारीख से अथवा पैदा हुआ माने जाने की तारीख से छः महीने के अंदर विवाचन को प्रस्तुत किया जाएगा। समाधान कार्यवाहियों यदि कोई हो, में लिया गया समय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शुरू किया जाएगा और संचालित किया जाएगा और प्रशासनिक रूप से दावों, मतभेदों अथवा विवादों का समाधान करने के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा लिया गया समय छः महीने की अवधि निर्धारित करने के प्रयोजन से अलग होगा ।
4. संबंधित प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय, भिन्न क्षेत्रों के लिए निर्वाचन की सीट निम्नानुसार होगी:-

निर्वाचन की सीटें क्षेत्रीय निर्वाचन केन्द्र (आर ए सी)	आर ए सी द्वारा शामिल किए गए राज्य
दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, पंजाब, जम्मू व काश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान
कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, अरुणाचलप्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा
चेन्नई	आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंदमान व निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी
मुम्बई	महाराष्ट्र, गुजराज, गोवा, दमन, दीव दादरा व नगर हवेली, मध्यप्रदेश

5. संबंधित प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अन्यथा के सिवाय, विभिन्न क्षेत्रों के लिए विवाचन की सीट निम्नानुसार होगी :

विवाद गली पार्टियां	विवाचन के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने का स्थान	सुनवाई का स्थान
टी एम बनाम कारोबारी सदस्य (ट्रेडिंग मैम्बर)	क. यदि दोनों कारोबारी सदस्यों के लेन-देन कार्यालय, जहां से लेन-देन किया गया था, किसी ऐसे एक राज्य में स्थित हैं जो विशेष क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में आता हो, तो विवाचन के लिए आवेदनपत्र आवेदक उस क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में कारोबारी सदस्य-द्वारा दाखिल किया जाएगा। ख. यदि दोनों कारोबारी सदस्यों के लेन-देन कार्यालय, जहां से लेन-देन किया गया था, भिन्न क्षेत्रीय विवाचन केन्द्रों में आने वाले राज्यों में स्थित हों, तो विवाचन के लिए आवेदनपत्र उस राज्य में आने	सुनवाई क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में होगी जहां आवेदक कारोबारी सदस्य ने विवाचन के लिए आवेदनपत्र दाखिल किया है और प्रतिवादी-कारोबारी सदस्य उस विशेष क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में सुनवाई के समय उपस्थित रहेगा।

	वाले क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में दाखिल किया जाएगा जिसमें प्रतिवादी कारोबारी सदस्य का लेन-देन कार्यालय स्थित है।	
टी एम बनाम सी और सी बनाम टी एम	विवाचन के लिए आवेदनपत्र आवेदक द्वारा उस क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में दाखिल किया जाएगा, जिसमें वह राज्य शामिल करता हो, जिसमें कारोबारी सदस्य का वह लेन-देन कार्यालय स्थित हो, जहां से लेन-देन किया गया था।	सुनवाई उस क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में होगी जहां आवेदक ने विवाचन के लिए आवेदनपत्र दाखिल किया है और प्रतिवादी उस विशेष क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में सुनवाई के समन उपस्थित रहेगा।

'टी एम' कारोबारी सदस्य (ट्रेडिंग मैम्बर) के लिए है और 'सी' निर्वाचक (कॉन्सोल्डिटेड) के लिए है। अधिक विस्तार के लिए कृपया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लि0 के फ्यूचर एंड ऑप्शन खण्ड कारोबारी नियमों का अध्याय 5 और उपनियमों का अध्याय XI देखें।

अनुबंध - 1 ख

दूरभाष सं :

टेलेक्स सं :

फैक्स सं. :

संविदा टिप्पणी

केवल मुम्बई में न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन

स्वामी के रूप में निर्वाचकों के साथ लेन-देन करने वाले सदस्यों द्वारा जारी की गई संविदा टिप्पणी

भागीदार/मालिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम संबंधित कार्यालय का पता दूरभाष सं० टेलेक्स सं०/फैक्स सं० सदस्य की कोड संख्या

सदस्य का नाम

संविदा सं० :

सदस्य का पता

तारीख :

सदस्य की सेवा पंजीकरण सं०

संबंधित स्टाम्प अधिनियम के अधीन प्रयोज्य उबंधों

के अनुसार स्टाम्प किया जाना है

सेवा में,

निर्वाचक का नाम/कोड सं०/निर्वाचक

आदेश संदर्भ सं०

महोदय/महोदया

मैंने हमने स्वामी (यों) से स्वामी (यों) के रूप में इस दिन निम्नलिखित लेन-देन में प्रविष्टि की है:

अपसे खरीदा

आपको बेचा

आदेश सं०	कारोबार सं०	व्यापार समय	मात्रा	मूल्य	राशि रुपए	संविदा विनिर्देश	मात्रा	मूल्य

अन्य उदाहरण यदि कोई हो:

यह संविदा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि०, मुम्बई के नियमों, उपनियमों और विनियमों तथा प्रयोगों के अधीन है। यह संविदा केवल मुम्बई में न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन है।

लेन-देनों से आपके और मेरे/हमारे बीच पैदा होने वाले किसी दावे (चाहे स्वीकार किया गया हो अथवा नहीं) मतभेद अथवा विवाद की स्थिति में, यह मामला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि०, मुम्बई के नियमों, उपनियमों और विनियमों में यथानिर्धारित विवाचन को भेजा जाएगा। यह संविदा संघटित होती है और पन्ने के दूसरी ओर आपके और मेरे/हमारे बीच हुआ यथानिर्धारित विवाद प्रस्तुत हुआ माना जाएगा कि इस संविदा (किसी ऐसे प्रश्न सहित कि क्या ऐसे लेन-देन, सौदों अथवा संविदाओं की अविष्टि की गई है अथवा नहीं) की तारीख से पूर्व अथवा बाद में हुए किसी लेन-देन, सौदे और संविदाओं के संबंध में सभी दावे (चाहे स्वीकार किए गए हों अथवा नहीं) मतभेद और विवाद प्रस्तुत किए जाएंगे और पन्ने के दूसरी ओर मुद्रित संविदा के एक हिस्से में यथानिर्धारित नियमों, उपनियमों और उपबंधों के अनुसार विवाचन द्वारा निर्णित किए जाएंगे।

मुम्बई

आपका

तारीख

सदस्य, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि०

विवाचन से संबंधित उपनियमों और विनियमों से उद्धरण

1. कारोबार सदस्यों के बीच परस्पर और कारोबारी सदस्यों और निर्वाचकों के बीच पैदा हुए अथवा एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन किए गए किसी लेन-देन, संविदा और सौदे के संबंध में हुए सभी दावों, मतभेदों अथवा विवादों अथवा संयोगात्मक रूप से उनसे संबंधित अथवा उनके अनुसरण में हुए किसी विवाद अथवा उनसे संबंधित पार्टियों की वैधता, निर्माण, व्याख्या, पूर्ति अथवा अधिकारों, बाध्यताओं और देयताओं से संबंधित विवादों को, और विसमं ऐसे कोई प्रश्न शामिल है कि क्या ऐसे लेन-देनों, सौदों और संविदाओं की प्रविष्टि की गई है अथवा नहीं, इन उपनियमों और विनियमों के अनुसार विवाचन को प्रस्तुत किया जाएगा।
2. सभी लेन-देनों संविदाओं और सौदों में, जिन्हें एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन किया जाता है अथवा किया जाना माना जाता है, इन उपनियमों और विनियमों में यथानिर्धारित विवाचन से संबंधित उपबंध बनाए जाएंगे और उन्हें लेन-देनों, संविदाओं और सौदों का बना हुआ हिस्सा माना जाएगा और पार्टियों को विवाचन करार में लिखित में प्रविष्टि हुआ माना जाएगा जिसके द्वारा उपर्युक्त खण्ड (1) में उल्लिखित प्रकृति के सभी दावों, मतभेदों अथवा विवादों को इन उपनियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार विवाचन को प्रस्तुत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त खण्ड (1) में उल्लिखित सभी दावों, मतभेदों अथवा विवादों को दावा, मतभेद अथवा विवाद पैदा होने की तारीख से अथवा पैदा हुआ माने जाने की तारीख से छः महीने के अंदर विवाचन को प्रस्तुत किया जाएगा। समाधान कार्यवाहियों यदि कोई हो में लिया गया समय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शुरू किया जाएगा और संचालित किया जाएगा और प्रशासनिक रूप से दावों, मतभेदों अथवा विवादों का समाधान करने के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय भिन्न क्षेत्रों के लिए विवाचन की सीट निम्नानुसार होगी:

विवाचन की सीटें क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र (आर.ए.सी.)	आर ए सी द्वारा शामिल किए गए राज्य
दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, पंजाब, जम्मू व काश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान
कलकत्ता	पश्चिमबंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, अरुणाचलप्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा
चेन्नई	आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंदमान व निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी
मुम्बई	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव, दादरा व नागर हवेली, मध्यप्रदेश

5. संबंधित प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अन्यथा के सिवाय, विभिन्न क्षेत्रों के लिए विवाचन की सीट निम्नानुसार होगी:

विवाद वाली पार्टियां	निर्वाचन के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने का स्थान	सुनवाई का स्थान
टी एम* बनाम कारोबारी सदस्य (ट्रेडिंग मैम्बर)	क. यदि दोनों कारोबारी सदस्यों के लेन-देन कार्यालय, जहां से लेन-देन किया गया था, किसी ऐसे एक राज्य में स्थित हैं जो विशेष क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में आता हो, तो विवाचन के लिए आवेदनपत्र आवेदक उस क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में कारोबारी सदस्य-द्वारा दाखिल किया जाएगा। ख. यदि दोनों कारोबारी सदस्यों के लेन-देन कार्यालय, जहां से लेन-देन किया गया था, भिन्न क्षेत्रीय विवाचन केन्द्रों में आने वाले राज्यों में स्थित हों, तो विवाचन के लिए आवेदनपत्र उस राज्य में आने	सुनवाई क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में होगी जहां आवेदक कारोबारी सदस्य ने विवाचन के लिए आवेदनपत्र दाखिल किया है और प्रतिवादी-कारोबारी सदस्य उस विशेष क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में सुनवाई के समय उपस्थित रहेगा।

	वाले क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में दाखिल किया जाएगा जिसमें प्रतिवादी-कारोबारी सदस्य का लेन-देन कार्यालय स्थित है।	
टी एम बनाम सी और सी बनाम टी एम	विवाचन के लिए आवेदनपत्र आवेदक द्वारा उस क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में दाखिल किया जाएगा, जिसमें वह राज्य शामिल करता हो, जिसमें कारोबारी सदस्य का वह लेन-देन कार्यालय स्थित हो, जहां से लेन-देन किया गया था।	सुनवाई उस क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में होगी जहां आवेदक ने विवाचन के लिए आवेदनपत्र दाखिल किया है और प्रतिवादी उस विशेष क्षेत्रीय विवाचन केन्द्र में सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगा।

‘टी एम’ कारोबारी सदस्य (ट्रेडिंग मैम्बर) के लिए है और ‘सी’ निर्वाचक (कांस्टीच्यूएंट) के लिए है। अधिक विस्तार के लिए कृपया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लि० के फ्यूचर एंड ऑप्शन खण्ड कारोबारी विनियम का अध्याय 5 और उपनियमों का अध्याय XI देखें।

अनुबंध-11

जोखिम प्रकटन दस्तावेज

यह दस्तावेज प्रत्येक संभावित संघटकों द्वारा व्युत्पन्न व्यापार में प्रवेश करने से पूर्व पढ़ा जाना चाहिए और इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एन.एस.ई.आई.एल.) के एन.एस.ई. (वायदा और विकल्प) व्यापार विनियम के खण्ड .4.33 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

एन.एस.ई.आई.एल. ने इस व्यापार खण्ड में भाग लेने की योग्यता पारित नहीं की है और न ही एन.एस.ई.आई.एल. ने इस प्रकटन दस्तावेज की पर्याप्तता अथवा यथार्थता पारित की है। संक्षिप्त विवरण व्यापार करने के सभी जोखिमों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकट नहीं करता। जोखिम के दृष्टिगत आपको केवल ऐसा लेन-देन करना चाहिए अगर आप संविदाओं (और संविदात्मक संबंध) की प्रकृति समझते हों, जिनमें आप करार कर रहे हों और जोखिम के प्रति आपके उद्भासन की सीमा जानते हों। व्युत्पन्न में व्यापार करने में घाटे का जोखिम काफी हो सकता है। आपको यह सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या आपके अनुभव, उद्देश्यों, वित्तीय संसाधनों और अन्य संगत परिस्थितियों के दृष्टिगत व्यापार करना उपयुक्त है या नहीं। इस प्रकार व्युत्पन्न में व्यापार (ट्रेडिंग) करने में न केवल आवश्यक वित्तीय संसाधनों की बल्कि वित्तीय और भावनात्मक स्वभाव की भी अपेक्षा होती है। किसी परिणाम अथवा वायदा तथा विकल्प खंड में घाटे

के मामले में एक मात्र संघटक ही ऐसे घाटे के लिए उत्तरदायी होगा और एक्सचेंज अथवा 'सेबी' उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा और किसी ग्राहक के लिए यह बहाना लेना खुला नहीं होगा कि कोई पर्याप्त प्रकटन नहीं किया गया था अथवा उसे सदस्य द्वारा शामिल पूर्ण जोखिम का विवरण नहीं दिया गया था। एक मात्र ग्राहक ही परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा और उस कारण कोई संविदा रद्द नहीं की जा सकती।

व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संविदाओं में व्यापार करने में शामिल जोखिम

'उष्मापन' अथवा 'अनुकूलन का प्रभाव

मार्जिन की राशि व्युत्पन्न संविदा के मूल्य की अपेक्षा कम है इसलिए लेन-देन उत्थापित अथवा अनकलित किए जाते हैं।

व्युत्पन्न व्यापार, जो अपेक्षतया मार्जिन की कम राशि से किया जाता है, मूल निवेश राशि की तुलना में अत्यधिक लाभ अथवा हानि की संभावना प्रदान करता है। परंतु व्युत्पन्नो में लेन-देन में जोखिम की अत्यधिक मात्रा होती है

इसलिए आपको व्युत्पन्न व्यापार में वास्तविक रूप से व्यापार करने के पूर्व निम्नलिखित विवरणों को पूरी तरह समझ लेना चाहिए और किसी की परिस्थिति, वित्तीय संसाधनों आदि को ध्यान में रखते हुए सावधानी से भी व्यापार करना चाहिए। अगर मूल्य आपके विरुद्ध घटती-बढ़ती है तो आप अपेक्षतया अल्पावधि में मूल निवेश राशि को समतुल्य मार्जिन का एक हिस्सा अथवा पूरी मार्जिन खो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, घाटा मूल मार्जिन राशि से बढ़ सकता है।

- क. वायदा व्यापार में सभी स्थितियों (पोजिशन) का दैनिक निपटान शामिल होता है। प्रत्येक दिन मुक्त स्थिति (ओपेन पोजिशन) को सूचकांक के बंद होने के स्तर के आधार पर बाजार को अंकित किया जाता है। अगर सूचकांक आपके विरुद्ध घटा-बढ़ा हो तो आपसे ऐसी घट-बढ़ के परिणामस्वरूप घाटे की राशि (आनुमानिक) जमा करने की अपेक्षा होगी। मार्जिन का भुगतान निर्दिष्ट समयावधि के भीतर, साधारणतया अगले दिन व्यापार प्रारंभ होने के पूर्व किया जाना होगा।
- ख. अगर आप, निश्चित समय तक अतिरिक्त मार्जिन जमा नहीं कर पाते अथवा अगर आपके खाते में बकाया ऋण दर्शाया जाता है तो ब्रोकर/सदस्य पूरी स्थिति (पोजिशन) अथवा उसके भाग का समापन कर सकता है अथवा प्रतिभूतियां प्रतिस्थापित कर सकता है। इस मामले में, आप ऐसे "क्लोज आउट" के कारण हुए घाटे के उत्तरदायी होंगे।
- ग. कतिपय बाजार दशाओं के अधीन निवेशक लेन-देन निष्पादित करना कठिन अथवा असंभव पा सकता है। उदाहरणार्थ, यह स्थिति भुगतान साधन नहीं होने जैसे कारकों से उत्पन्न हो सकती है अर्थात् जब अपर्याप्त बोलियां अथवा प्रस्ताव हों या मूल्य सीमा अथवा सर्किट ब्रेकरो आदि के कारण व्यापार का निलम्बन हो।
- घ. बाजार स्थायित्व बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं: मार्जिन दर में परिवर्तन, नकद मार्जिन दर अथवा अन्यो में वृद्धि। इन नए उपायों का प्रयोग मौजूदा मुक्त हितों पर किया जा सकता है। ऐसी

दशा में आपसे अतिरिक्त मार्जिन प्रस्तुत करने अथवा अपनी स्थिति (पोजिशन) घटाने की अपेक्षा होगी।

- ड. आपको अपने ब्रोकर से अपने द्वारा व्यापार किए जाने की योजना वाले व्युत्पन्न संविदाओं का पूर्ण ब्यौरा अर्थात् संविदा विशिष्टियां और संबद्ध देयताएं प्रदान करने के लिए कहना चाहिए।

जोखिम कम करने वाले आदेश अथवा कार्यनीतियां

कतिपय आदेश (अर्थात् 'घाटा रोकें' आदेश अथवा 'सीमा रोकें' आदेश), जिनका अभिप्राय कतिपय राशियों तक घाटा सीमित करना है, प्रस्तुत करना प्रभावी नहीं हो सकता क्योंकि बाजार की दशाएं उसे ऐसे आदेश निष्पादित करना असंभव कर सकती हैं। 'विस्तार' स्थिति (स्प्रेड पोजिशन) जैसी स्थितियों (पोजिशन) के संयोजन का प्रयोग करने की कार्यनीति साधारण 'दीर्घ' अथवा 'लघु' स्थितियां (पोजिशन) लेने के समान जोखिमपूर्ण हो सकती हैं।

व्यापार करने का निलम्बन अथवा प्रतिबंध और मूल्य निर्धारण संबंध बाजार दशाएं (अर्थात् भुगतान साधन नहीं होना) और/अथवा कतिपय बाजारों के नियमों का प्रचालन (अर्थात् मूल्य सीमा अथवा सर्किट ब्रेकर के कारण किसी संविदा अथवा संविदा माह में व्यापार का निलम्बन) पोजिशन को समाप्त/प्रतिसंतुलित करने की अक्षमता के कारण घाटे का जोखिम बढ़ा सकता है।

जमा की गई नकद राशि और संपत्ति

आपको विशेषकर किसी फर्म के दीवालिया होने की दशा में जमा की जाने वाली राशि अथवा अन्य संपत्ति को प्रदान किए गए संरक्षण से परिचित होना चाहिए। वह सीमा, जहां तक आप अपनी राशि अथवा संपत्ति वसूल कर सकते हैं, विशिष्ट विधानों अथवा स्थानीय नियमों द्वारा नियंत्रित हो सकती है। कुछ क्षेत्राधिकारों में वह संपत्ति जो विशेष रूप से आपकी संपत्ति के रूप में पहचानी जाने योग्य रही है, उसी तरीके से यथानुसार मानी जाएगी जिस तरह कमी की दशा में वितरण के प्रयोजनार्थ नकद राशि मानी जाती है। सदस्य के साथ किसी विवाद के मामले में वह एक्सचेंज के उप नियमों/विनियमों के अनुसार विवाचन के अधीन होगा।

विकल्प (ऑप्शन) धारकों का जोखिम

- 1 विकल्प (ऑप्शन) धारक को अपेक्षतया अल्पावधि में विकल्प के लिए अदा की गई पूर्ण राशि का घाटा उठाने का जोखिम होता है। यह जोखिम किसी विकल्प की व्यर्थ परिसंपत्ति के रूप में प्रकृति प्रदर्शित करता है, जो अपनी समाप्ति पर बेकार हो जाती है। विकल्प धारक जो न तो गौण बाजार में अपने विकल्प की बिक्री करता है और न तो उसकी समाप्ति के पूर्व उसका प्रयोग करता है, विकल्प में अपने पूर्ण निवेश को अनिवार्य रूप से खो देगा। अगर अन्तर्निहित का मूल्य विकल्प की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त सीमा तक विकल्प समाप्त होने के पूर्व पूर्वानुमानित दिशा

में परिवर्तित नहीं होता तो निवेशक विकल्प में अपने निवेश का पूरा अथवा काफी हिस्सा खो सकता है।

2. एक्सचेंज प्रयोग प्रतिबंध अधिरोपित कर सकता है और उसे निर्दिष्ट परिस्थितियों में कतिपय समय पर विकल्पों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने का प्राधिकार है।

ऑप्शन राइटर का जोखिम

1. अगर अन्तर्निहित के मूल्य में घट-बढ़ पूर्वानुमानित दिशा में नहीं होती तो ऑप्शन राइटर को पर्याप्त राशि खोने का जोखिम होता है।
2. ऑप्शन राइटर होने का जोखिम उसी अन्तर्निहित हित पर अन्य विकल्पों की खरीद द्वारा कम किया जा सकता है और उससे एक विस्तार स्थिति (स्प्रेड पोजिशन) का अनुमान किया जा सकता है अथवा विकल्प बाजारों में अथवा अन्य बाजारों में अन्य किस्म के हेजिंग पोजिशन लेकर कम किया जा सकता है। तथापि, यहां तक कि जहां राइटर ने विस्तार (स्प्रेड) अथवा अन्य हेजिंग पोजिशन का अनुमान किया है वहां जोखिम फिर भी काफी कम हो सकता है। विस्तार (स्प्रेड) पोजिशन अनिवार्यतः किसी साधारण 'दीर्घ' अथवा 'लघु' पोजिशन की अपेक्षा कम जोखिमपूर्ण नहीं है।
3. लेन-देन जिसमें संयुक्त रूप से बहु विकल्पों को खरीदना या लिखना अथवा अन्तर्निहित हित को कम करके संयुक्त रूप से खरीदने या बेचना शामिल हो तो निवेशकों को अतिरिक्त जोखिम होते हैं। संयुक्त लेन-देन जैसे ऑप्शन स्प्रेड एकल विकल्प खरीदने या लिखने की अपेक्षा अधिक जटिल

है। इसके अतिरिक्त आगे यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि निवेश करने के किसी अन्य क्षेत्र के समान जटिलता को अच्छी तरह नहीं समझना अपनेआप में एक जोखिम है। जबकि यह सुझाव नहीं दिया जाता कि संयुक्त कार्यनीतियों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए परंतु विकल्प (ऑप्शन) में सभी निवेशों के मामले में किसी ऐसे व्यक्ति, जो बाजार की विभिन्न परिस्थितियों के अधीन जोखिमों और संयुक्त लेन-देनों से होने वाली संभावित प्राप्ति के संबंध में अनुभवी हो और जानकारी रखता हो, से परामर्श करना उचित है।

कमीशन और अन्य प्रभार

व्यापार करने के पूर्व आपको सभी कमीशन, फीस और अन्य प्रभारों जिसके आप योग्य होंगे, का स्पष्ट ब्यौरा प्राप्त कर लेना चाहिए। ये प्रभार आपके निवल लाभ (अगर कोई हो) को प्रभावित करेंगे अथवा आपका घाटा बढ़ाएंगे।

व्यापार करने की सुविधाएं

1. एकसचेज व्यापार करने ट्रेडिंग की इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं प्रदान करता है, जो व्यापार के लिए आदेश भेजने, निष्पादन, प्रतिसंतुलन, पंजीकरण अथवा क्लियरिंग हेतु कम्प्यूटर आधारित प्रणाली है। सभी सुविधाओं और प्रणालियों के साथ ये अस्थायी बाधा अथवा खराबी के लिए सुभेद्य है; कतिपय हानियों को वसूल करने की आपकी योग्यता प्रणाली प्रदानकर्ता, बाजार, क्लियरिंग हाउस और/अथवा सदस्य फर्म द्वारा अधिरोपित देयता सीमाओं के

अधीन हो सकती है। ऐसी सीमाएं भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, आपको उस फर्म, जिसके साथ आप लेन-देन करते हैं, से इस संबंध में ब्यौरा मांगना चाहिए।

यह दस्तावेज व्युत्पन्न बाजार में व्यापार करने में शामिल सभी जोखिमों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकट नहीं करता। इसलिए संघटक को व्युत्पन्न व्यापार में शामिल होने के पूर्व उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।

मैं एतद्वारा यह पावती देता हूँ कि मैंने जोखिम प्रकटन विवरण प्राप्त कर लिया और उसे समझ लिया है।

ग्राहक के हस्ताक्षर (अगर साझेदार, निगम अथवा अन्य हस्ताक्षरकर्ता हों तो कंपनी की मुहर के साथ अभिप्रमाणित करें)

नेशनल सिक्यूरिटी क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

एन.एस.सी.सी. (वायदा और विकल्प) विनियम में विहित उपबंधों की चर्चा नीचे दी गई सीमा तक संशोधित किया जाता है:-

1. निम्नलिखित शब्दों की परिभाषाओं को परिभाषा अध्याय में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया जाता है:

1. अमरीकी शैली की विकल्प संविदा

अमरीकी शैली की विकल्प संविदा का अर्थ ऐसी विकल्प संविदा है जिसका प्रयोग समापन दिन को उथवा उसके पूर्व किसी भी दिन किया जा सकता है।

2. समनुदेशन

समनुदेशन का अर्थ किसी विकल्प संविदा का आवंटन है, जिसका प्रयोग समय-समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार दायित्व की पूर्ति के लिए समान सौदा मूल्य पर समान विकल्प संविदा में अल्पकालिक स्थिति के लिए किया जाता है।

3. मुद्रा अथवा समीपस्थ मुद्रा पर सौदा मूल्य

“मुद्रा अथवा समीपस्थ मुद्रा पर” सौदा मूल्य विकल्प संविदा का समय-समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाने वाला अन्तर्निहित ऐसी सीमा पर अथवा उससे भीतर सौदा मूल्य है।

4. निर्धारित शैली विकल्प संविदा

निर्धारित शैली विकल्प संविदा का अर्थ ऐसी विकल्प संविदा है, जिसका प्रयोग विभिन्न विकल्प संविदाओं के लिए समय-समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा जैसा निर्दिष्ट किया जाए किसी भी समय विकल्प के लिए निर्धारित मूल्य पर अन्तर्निहित का मूल्य पहुँचने तक समापन समय पर अथवा उसके पूर्व स्वतः किया जाएगा।

5. संविदा मूल्य

संविदा मूल्य विकल्प संविदा के सौदा मूल्य के नियमित बाजार लाट आकार को गुणा करके निकाला गया मूल्य है।

6. प्रयोग

प्रयोग का अर्थ विकल्प के धारक द्वारा क्लियरिंग कारपोरेशन के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार और उनके अधीन अधिकार के लिए प्रार्थना है।

7. प्रयोग अथवा सौदा मूल्य

प्रयोग मूल्य अथवा सौदा मूल्य व्यापार (ट्रेडिंग) का प्रति इकाई मूल्य है, जिस पर विकल्प धारक को विकल्प के प्रयोग पर अन्तर्निहित को या तो खरीदने अथवा बेचने का अधिकार है।

8. प्रयोग शैली

विकल्प की प्रयोग शैली उस मूल्य का संदर्भ देती है जिस पर और अथवा समय जब धारक द्वारा विकल्प प्रयोग योग्य होता है। यह या तो अमरीकी शैली विकल्प अथवा यूरोपीय शैली विकल्प अथवा

निर्धारित शैली विकल्प या ऐसा अन्य प्रयोग शैली विकल्प हो सकता है, जिसे संगत प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित करे।

9. समापन समय

समापन समय विकल्प संविदा के समापन दिन को कारोबार घंटे समाप्त होना अथवा ऐसा अन्य समय है जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

10. यूरोपीय शैली विकल्प संविदा

यूरोपीय शैली विकल्प संविदा का अर्थ ऐसी विकल्प संविदा है, जिसका प्रयोग केवल समापन समय पर अथवा उसके पूर्व समापन दिवस को अथवा ऐसे अन्य दिन और अथवा समय पर किया जा सकता है, जिसे संगत प्राधिकारी समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

11. वायदा शैली प्रीमियम निपटान

वायदा शैली प्रीमियम निपटान का अर्थ वायदा संविदाओं के लिए संगत प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट निपटान प्रणाली के आधार पर विकल्प संविदाओं का प्रीमियम निपटान है और इसमें संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार दीर्घ और लघु विकल्प स्थितियों (पोजिशन) पर प्रारंभिक मार्जिन और बाजार निपटान का अंकन शामिल होगा।

12. मुद्रा सौदा मूल्य में

मुद्रा सौदा मूल्य में रखे गए विकल्प (पुट ऑप्शन) के मामले में विकल्प संविदा का वह सौदा मूल्य है, जो 'मुद्रा अथवा समीपस्थ मुद्रा पर' सौदा मूल्य से अधिक होता है। मांग विकल्प (कॉल ऑप्शन) के मामले में, मुद्रा सौदा मूल्य में विकल्प संविदा का वह सौदा मूल्य है, जो 'मुद्रा अथवा समीपस्थ मुद्रा पर सौदा मूल्य से कम होता है।

13. विकल्प श्रेणी

एक ही किस्म और शैली की विकल्प संविदाएं जो समान अन्तर्निहितों को शामिल करती हैं, विकल्प श्रेणी होती हैं।

14. विकल्प धारक

विकल्प धारक वह व्यक्ति है, जिसने विकल्प संविदा खरीदी है।

15. विकल्प विक्रेता

विकल्प विक्रेता ऐसा व्यक्ति है, जिसने कोई विकल्प संविदा की बिक्री की हो।

16. विकल्प संविदा

विकल्प संविदा व्युत्पन्न संविदा की एक किस्म है, जो संविदा के केता/धारक को किसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर अथवा उसकी समाप्ति पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर अन्तर्निहित प्रतिभूति खरीदने और/अथवा बेचने का अधिकार (परंतु दायित्व नहीं) देती है। विकल्प संविदा, जो खरीदने का अधिकार देती है उसे मांग विकल्प (कॉल ऑप्शन) और विकल्प संविदा जो बिक्री करने का अधिकार देती है उसे रखने का विकल्प (पुट ऑप्शन) कहा जाता है।

17. मुद्रा से बाह्य सौदा मूल्य

पुट ऑप्शन के मामले में मुद्रा से बाह्य सौदा मूल्य उस विकल्प संविदा का सौदा मूल्य है, जो मुद्रा अथवा समीपस्थ मुद्रा पर सौदा मूल्य से कम होता है।

मांग विकल्प (कॉल ऑप्शन) के मामले में मुद्रा से बाह्य सौदा मूल्य उस विकल्प संविदा का सौदा मूल्य है जो 'मुद्रा अथवा समीपस्थ मुद्रा पर' सौदा मूल्य से अधिक होता है।

18. प्रीमियम

प्रीमियम वह मूल्य है, जिसका भुगतान क्रेता विकल्प संविदा द्वारा सूचित अधिकारों के लिए विकल्प के विक्रेता को करता है।

19. प्रीमियम शैली प्रीमियम निपटान

प्रीमियम शैली प्रीमियम निपटान का अर्थ किसी विकल्प संविदा के क्रेता/धारक द्वारा ऐसी विकल्प संविदा की खरीद पर क्रेता/धारक द्वारा विकल्प संविदा के विक्रेता को पूर्ण विकल्प प्रीमियम का भुगतान है।

20. विकल्पों की श्रृंखला

विकल्पों की श्रृंखला का अर्थ समान प्रयोग मूल्य और समापन दिन वाले एक ही श्रेणी के सभी विकल्प है।

21. निर्दिष्ट अवधि

किसी विकल्प संविदा की निर्दिष्ट अवधि प्रारंभ के दिन और समापन समय के बीच की समयावधि है।

22. निपटान राशि

निपटान राशि में प्रीमियम निपटान राशि और/अथवा प्रयोग निपटान राशि और अथवा ऐसी अन्य राशि, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, शामिल होगी।

23. निपटान मूल्य

प्रयोग निपटान के संबंध में निपटान मूल्य प्रयोग के दिन अन्तर्निहित का अंतिम मूल्य अथवा ऐसा अन्य मूल्य, जिसका निर्णय संगत प्राधिकारी समय-समय पर करे, है।

24. विकल्प की किस्म

विकल्प की किस्म का अर्थ या तो रखने (पुट) अथवा मांग (कॉल) के रूप में एक विकल्प का वर्गीकरण है।

25. अन्तर्निहित

अन्तर्निहित वह है, जिसके संदर्भ में व्युत्पन्न संविदाओं का समय-समय पर निर्दिष्ट एक्सचेंज द्वारा व्यापार करने की अनुमति होती है।

- II. निम्नलिखित अध्याय को अध्याय 5 के बाद अध्याय 5 क के रूप में प्रविष्ट किया जाता है।

उद्धृत

5 क सूचकांक विकल्प संविदाओं का निपटान

5क.1. सूचकांक विकल्प संविदाओं के लिए दैनिक प्रीमियम निपटान

सूचकांक विकल्प संविदाओं में दीर्घ स्थिति सहित वायदा और विकल्प (एफ एंड ओ) क्लियरिंग सदस्य निपटान के लिए उस प्रीमियम मूल्य, जिस पर सूचकांक विकल्प संविदाएं खरीदी गई थीं, का विकल्प कारपोरेशन को भुगतान करने के लिए बाध्य है और सूचकांक विकल्प संविदाओं में लघु स्थिति वाले वायदा और विकल्प (एफ एण्ड ओ) क्लियरिंग सदस्य निपटान के लिए क्लियरिंग कारपोरेशन से उस प्रीमियम मूल्य को प्राप्त करने के हकदार है, जिस पर सूचकांक विकल्प संविदाएं बेची गई थीं।

क. प्रीमियम निपटान का तरीका: दैनिक प्रीमियम निपटान दायित्व नकद में अथवा ऐसे रूप, जैसा संगत प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, में अदा किया जाएगा।

ख. प्रीमियम निपटान की शैली: प्रीमियम निपटान की शैली प्रीमियम शैली अथवा वायदा शैली अथवा ऐसी अन्य शैली, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, हो सकती है। क्लियरिंग कारपोरेशन सभी सूचकांक विकल्प संविदाओं, जिनका भुगतान और निपटान किया जाता है, के लिए प्रीमियम निपटान की शैली निर्दिष्ट करेगा। क्लियरिंग कारपोरेशन समय-समय पर प्रीमियम निपटान की एक अथवा अधिक शैली हेतु प्रीमियम निपटान की कार्यविधि निर्दिष्ट करेगा।

- ग. प्रीमियम निपटान की विधि: क्लियरिंग कारपोरेशन प्रत्येक व्यापारिक दिवस की समाप्ति पर अथवा ऐसे अन्य समय, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, पर प्रीमियम निपटान की शैली के अनुसार भुगतान और निपटाए गए सभी सूचकांक विकल्पों के लिए क्लियरिंग सदस्यों द्वारा देय अथवा प्राप्तव्य प्रीमियम निपटान राशि परिकलित करेगा और उसकी सूचना क्लियरिंग सदस्यों को देगा। तदनुसार, ऐसे क्लियरिंग सदस्य क्लियरिंग कारपोरेशन से और उसके लिए निपटान हेतु ऐसी प्रीमियम निपटान राशि अदा अथवा प्राप्त करेंगे।
- घ. प्रीमियम निपटान का समय: संगत प्राधिकारी समय-समय पर वह अवधि और दिन निर्दिष्ट करेगा जब प्रीमियम निपटान किया जाएगा।

5क.2 प्रयोग

क. प्रयोग की किस्म

किसी सूचकांक विकल्प संविदा के लिए प्रयोग की किस्म स्वैच्छिक अथवा स्वचालित या ऐसी अन्य किस्म, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, की हो सकती है।

1. स्वैच्छिक प्रयोग

स्वैच्छिक प्रयोग तब होता है जब कोई क्लियरिंग सदस्य क्लियरिंग कारपोरेशन के नियमों/उपनियमों और विनियमों के अधीन अपनी संकल्प शक्ति पर मुद्रा में (इन दि मनी) सूचकांक विकल्प संविदा का प्रयोग करता है।

2. स्वचालित प्रयोग

स्वचालित प्रयोग तब होता है जब क्लियरिंग कारपोरेशन के नियमों/उप-नियमों और विनियमों के अधीन सभापति द्वारा सभी “इन दि मनी” सूचकांक विकल्प संविदाओं का स्वचालित रूप से अप्रप्यादेय रूप में प्रयोग किया जाना माना जाए।

पूर्वोक्त में कुछ होते हुए भी अगर कोई क्लियरिंग सदस्य “इन-दि-मनी” सूचकांक विकल्प संविदा का प्रयोग नहीं करना चाहता तो विनियम 5क.2(ग) 3 के अनुसार उपयुक्त ऐसे क्लियरिंग सदस्य का उत्तरदायित्व होगा।

इसके अतिरिक्त, आए क्लियरिंग सदस्य “एट-दि-मनी” सूचकांक विकल्प संविदा अथवा “आउट-ऑफ दि मनी” सूचकांक विकल्प संविदा का प्रयोग करना चाहता है तो विनियम 5क.2(ग) 1 के अनुसार उपयुक्त अनुदेश देना ऐसे क्लियरिंग सदस्य का उत्तरदायित्व होगा।

ख. प्रयोग कार्यतंत्र

प्रयोग कार्यतंत्र अंतरिम अथवा अंतिम या अन्य कार्यतंत्र, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, हो सकता है।

1. अंतरिम प्रयोग

अंतरिम प्रयोग केवल अमरीकी शैली सूचकांक विकल्प संविदाओं के मामले में ही है। प्रयोग किस्म स्वैच्छिक हो सकती है।

2. अंतिम प्रयोग

अंतिम प्रयोग अमरीकी शैली सूचकांक विकल्प संविदा और यूरोपीय शैली सूचकांक विकल्प संविदा दोनों के मामले में है। प्रयोग किस्म स्वैच्छिक अथवा स्वचालित हो सकती है।

ग. प्रयोग कार्यविधि

किसी क्लियरिंग सदस्य द्वारा सूचकांक विकल्प संविदा के प्रयोग की कार्यविधि यहां इसके बाद यथानिर्दिष्ट होगी अथवा ऐसी अन्य कार्यविधि होगी, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

1. क्लियरिंग कारपोरेशन को प्रयोग की नोटिस

संगत प्राधिकारी समय-समय पर निम्नलिखित सहित सूचकांक विकल्प संविदाओं से संबंधित उपबंध निर्दिष्ट कर सकता है:

- (क). सदस्यों की किस्म, जो प्रयोग कर सकते हैं
- (ख). प्रयोग की नोटिस देने के लिए सुविधा/प्रणाली
- (ग). दिन, जब प्रयोग की नोटिस प्रस्तुत की जा सकती है।
- (घ). सूचकांक विकल्प संविदाओं का न्यूनतम लॉट आकार जिसका प्रयोग किया जा सकता है।
- (ङ). समयावधि, जिसके भीतर प्रयोग की नोटिस प्रस्तुत की जा सकती है।

(च). सूचकांक विकल्प संविदाओं की अधिकतम संख्या, जिनका प्रयोग किसी दिन अथवा अवधि के भीतर किया जा सकता है।

(छ). ऐसी अन्य शर्तें जिसे यह सही समझे।

प्रयोग के लिए नोटिस उस दिन जब प्रयोग की नोटिस दी गई है अथवा ऐसे अन्य दिन/समय, जिसे संगत प्राधिकारी समय-समय पर निर्दिष्ट करे, को व्यापारिक घंटे की समाप्ति पर सूचकांक विकल्प संविदा में “इन-दि-मनी” स्थिति पर माना जाएगा।

कोई भी सदस्य क्लियरिंग कारपोरेशन के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन व्यवस्था किए गए को छोड़कर इस प्रकार प्रस्तुत किसी प्रयोग को रद्द अथवा संशोधित नहीं करेगा।

2. क्लियरिंग कारपोरेशन द्वारा प्रयोग नोटिस स्वीकार करना

कोई प्रयोग नोटिस, जिसे 5क.2.1 में यथावर्णित उपबंधों के अनुसार दिया गया है, को संगत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के लिए माना जा सकता है।

ऐसी प्रयोग नोटिसों को उस दिन, जब प्रयोग नोटिस दी गई हो अथवा ऐसे अन्य दिन अथवा समय, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, को व्यापारिक घंटे की समाप्ति पर संसाधित करने के बाद ही संगत प्राधिकारी

द्वारा मान्य अथवा अमान्य घोषित किया जाएगा। सभी अमान्य प्रयोग नोटिसों संगत प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत मानी जाएंगी। पूर्वोक्त में कुछ होते हुए भी संगत प्राधिकारी प्रयोग नोटिस को अस्वीकार कर सकता है, जहां

(i) अगर क्लियरिंग सदस्य, जिसने प्रयोग के लिए नोटिस दिया है, के पास ऐसे समय जब संगत प्राधिकारी द्वारा ऐसी नोटिस पर कार्यवाही की जाती है, उस संविदा में मुक्त स्थिति नहीं है।

(ii) अन्य कोई कारण

3. किसी सदस्य द्वारा प्रयोग नोटिस को रद्द करना

जब तक अन्यथा अनुमत्य नहीं हो सभी मान्य प्रयोग नोटिस अपरिवर्तनीय रहेंगी।

4. प्रयोग पर प्रतिबंध

संगत प्राधिकारी को किसी सूचकांक विकल्प संविदा में प्रयोग पर ऐसा प्रतिबंध लगाने की शक्ति होगी, जिसे वह सूचकांक विकल्प संविदा अथवा अन्तर्निहित प्रतिभूतियों में उचित और सही बाजार बनाए रखने के हित में आवश्यक समझे अथवा अनिष्ट में या निवेशक के संरक्षण के लिए उचित समझे। ऐसा प्रतिबंध के उल्लंघन में कोई प्रयोग मान्य नहीं है।

5. अनुदेशन

(क). समनुदेशन विधि

समनुदेशन विधि समानुपातिक अथवा यादृच्छिक अथवा ऐसी विधि हो सकती है, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

1. समानुपातिक समनुदेशन

समानुपातिक समनुदेशन उस समय होता है जब कोई सूचकांक विकल्प संविदा, जिसका प्रयोग किया गया है, को संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार समान श्रृंखला वाली सूचकांक विकल्प संविदा में एक अथवा अधिक लघु स्थिति को समानुपातिक रूप से आवंटित किया जाता है।

2. यादृच्छिक समनुदेशन

यादृच्छिक समनुदेशन उस समय होता है जब कोई सूचकांक विकल्प संविदा, जिसका प्रयोग किया जाता है, को संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार समान श्रृंखला वाली सूचकांक विकल्प संविदा में एक अथवा अधिक लघु स्थिति को यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है।

(ख). समनुदेशन कार्यविधि

क्लियरिंग कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत प्रयोग नोटिस संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाने वाली समनुदेशन विधि के अनुसार समान श्रृंखला सहित देयताओं की पूर्ति हेतु सूचकांक विकल्प संविदाओं में लघु स्थिति (शॉर्ट पोजिशन) खोलने के लिए समनुदेशित की जाएगी ।

समनुदेशित क्लियरिंग सदस्य क्लियरिंग कारपोरेशन को प्रयोग निपटान राशि अदा करने के उत्तरदायी होंगे। क्लियरिंग कारपोरेशन इसके बाद ऐसी राशि उस क्लियरिंग सदस्य, जिसने क्लियरिंग कारपोरेशन के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन सूचकांक विकल्प संविदा का प्रयोग किया है को दे देगा।

(ग). क्लियरिंग सदस्यों द्वारा समनुदेशन का आवंटन

संगत प्राधिकारी समय-समय पर क्लियरिंग सदस्यों द्वारा सूचकांक विकल्प संविदा में समनुदेशित “शॉर्ट पोजिशन” का उनके ग्राहकों/व्यापारिक सदस्यों/व्यापारिक सदस्यों के ग्राहकों को आवंटन करने के लिए कार्यविधि निर्दिष्ट कर सकते हैं।

5क.4. प्रयोग निपटान

कोई सूचकांक विकल्प संविदा जिसका संगत प्राधिकारी द्वारा प्रयोग और समनुदेशन किया गया है, का यहां इसके बाद प्रदान की गई कार्यविधि अथवा ऐसी अन्य कार्यविधि, जिसे

संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, के अनुसार निपटान किया जाएगा।

(क). निपटान का तरीका: निपटान देयता का भुगतान नकद में अथवा ऐसे अन्य रूप, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, में किया जाएगा।

(ख). निपटान की विधि:

(1). सूचकांक विकल्प संविदा, जिसका प्रयोग किया गया है और मुक्त “शॉर्ट पोजिशन”, जिसको ऐसा प्रयोग किया गया सूचकांक विकल्प संविदा समनुदेशित किया गया है, को प्रयोग के दिन निपटान मूल्य पर बंद समझा जाएगा।

(2). क्लियरिंग सदस्य, जिसे सूचकांक विकल्प संविदा समनुदेशित की गई है, क्लियरिंग कारपोरेशन को सूचकांक विकल्प संविदा के सौदा मूल्य और सूचकांक विकल्प संविदा की प्रत्येक यूनिट (जिसे समनुदेशित किया गया है) के लिए निपटान मूल्य के बीच अंतर द्वारा प्रदर्शित किसी घाटे का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, जिसे उसके बाद क्लियरिंग कारपोरेशन द्वारा उस क्लियरिंग सदस्य, जिसने क्लियरिंग कारपोरेशन के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन सूचकांक विकल्प संविदा का प्रयोग किया है, को दे दिया जाएगा।

(3). क्लियरिंग सदस्य, जिसने सूचकांक विकल्प संविदा का प्रयोग किया है, क्लियरिंग कारपोरेशन से सूचकांक विकल्प संविदा के सौदा मूल्य और सूचकांक विकल्प संविदा (जिसका प्रयोग किया गया है) की प्रत्येक यूनिट के बीच अंतर द्वारा प्रदर्शित किसी लाभ को प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसे क्लियरिंग कारपोरेशन द्वारा उस क्लियरिंग सदस्य, जिसे क्लियरिंग कारपोरेशन के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन सूचकांक विकल्प संविदा समनुदेशित की गई है, से एकत्रित किया जाएगा।

(4). ऐसे घाटे अथवा लाभ का संदर्भ 'प्रयोग निपटान मूल्य' के रूप में दिया जाएगा।

(ग). निपटान की अवधि:

संगत प्राधिकारी उस दिन अथवा समय जब निपटान किया जाएगा, को समय-समय पर निर्दिष्ट करेगा।

5क.5 क्लियरिंग फॉर्म

सभी क्लियरिंग फॉर्म, संगत विनियम में यथानिर्दिष्ट अथवा उसके अतिरिक्त या उसके संशोधन अथवा प्रतिस्थापन में ऐसे अन्य रूप अथवा रूपों में होंगे, जिन्हें संगत प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित करे।

5क.6 निपटान दायित्व विवरण

क्लियरिंग कारपोरेशन वायदा और विकल्प (एफ एण्ड ओ) क्लियरिंग सदस्यों तथा व्यापारिक (ट्रेडिंग) सदस्यों को प्रीमियम निपटान, विभिन्न क्रियों की सूचकांक विकल्प मंविदाओं में लेन-देन से संबंधित अन्य निपटान दायित्व विवरण तैयार करने योग्य बताने के लिए संगत आंकड़े डाउनलोड करना सुविधाजनक बनाएगा।

5क.7 भुगतान का तरीका

वायदा और विकल्प (एफ एण्ड ओ) क्लियरिंग सदस्य के पास नामोदिष्ट भुगतान दिवस को अपने निधि देयताओं की सीमा तक अपने क्लियरिंग खातों में निधियों का शेष होगा। तथापि बशर्ते कि संगत प्राधिकारी सभी अथवा किसी एक एफ एण्ड ओ क्लियरिंग सदस्य के लिए विधियों के भुगतान का भिन्न तरीका निर्दिष्ट कर सकता है।

5क.8 निधियों की प्राप्ति

क्लियरिंग बैंक उन वायदा और विकल्प (एफ एण्ड ओ) क्लियरिंग सदस्यों, जो क्लियरिंग कारपोरेशन के अनुदेशानुसार निधियां प्राप्त करने वाले हैं, के क्लियरिंग खाते में जमा करेगा। किसी वायदा और विकल्प क्लियरिंग सदस्य को देय सभी निधियां सामान्यतः उसके

खाते में जमा की जाएगी जब तक (क) वायदा और विकल्प क्लियरिंग सदस्य क्लियरिंग कारपोरेशन के प्रति अपने दायित्वों का निष्पादन नहीं करता अथवा (ख) उसका अन्यथा आदेश संगत प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाता। तथापि बशर्ते कि संगत प्राधिकारी सभी अथवा किसी वायदा और विकल्प (एफ एण्ड ओ) क्लियरिंग सदस्यों के लिए निधियां जमा करने का भिन्न तरीका निर्दिष्ट कर सकता है।

अनुद्धृत

कृते नेशनल सिन्क्यूरिटीज क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

आर. जयकुमार

(आर जयकुमार)

सहायक कंपनी सचिव

दी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: डीएसई हाउस, 3/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002

संशोधित उप-विधि

350. सदस्य निम्नलिखित किसी या इसी तरह के कृताकृतों (भूल-चूकों) के लिए गैर-व्यवसायिक आचरण का दोषी समझा जाएगा, अर्थात् :-

(11) विज्ञापन : यदि वह अपने निजी व्यक्ति कों, एक्सचेंज के सदस्यों, बैंक और संयुक्त स्टॉक कंपनियों के इलावा दूसरे व्यक्तियों को परिपत्र या व्यवसायिक सूचनाएं नियमित रूप से जारी करता है या व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए विज्ञापित करता है या समचार पत्र/पत्रिकाओं इत्यादि में अपने नाम से स्टॉक मार्केट से संबंधित पफलेट्स, परिपत्र या अन्य कोई साहित्य या रिपोर्ट या सूचना प्रकाशित करता है, यदि स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित ऐसे विज्ञापन, परिपत्र या अन्य व्यवसायिक सूचनाएं (बिजनेस कमनिकेशन) पफलेट्स या अन्य साहित्य या रिपोर्ट या सूचना और उनमें अंतर्निहित सामग्री, विनियमों का ऐसे अन्य मार्ग-निर्देशों के अनुसार नहीं है जिन्हें निदेशक बोर्ड समय-समय पर इनके अतिरिक्त या इनके संशोधन में या प्रतिस्थापन में जारी करता है और उनकी प्रतियां जारी करने से सात दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत नहीं की जाती है।

विनियम 17

सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों के लिए मार्ग-निर्देश

17.1 विज्ञापनों और ब्रॉशरों की अंतर्वस्तु केवल उन सेवाओं के स्वरूप से संबंधित होनी चाहिए जिन्हें स्टॉक दलाल केवल शेयरों और प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के संबंध में प्रदान कर सकता है। विज्ञापन ब्रॉशर आदि में किसी कंपनी के शेयर और प्रतिभूति खरीदने या बेचने से संबंधित सिफारिश या किसी कंपनी से संबंधित कोई सिफारिश नहीं की जाएगी।

17.2 किसी सदस्य-दलाल द्वारा विज्ञापन, ब्रॉशर आदि व्यक्तिगत रूप से या अन्य सदस्य-दलालों के साथ संयुक्त रूप से प्रकाशित किए जा सकते हैं ताकि छोटे-दलाल प्रचार के लिए अपने संसाधनों को एकीकृत (पूल बन्ध) कर सकें।

17.3 विज्ञापनों, ब्रॉशरों आदि में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा आर्बिट्रि कोड संख्या के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता के लिए दर्ज किए गए अनुसार नाम/अभिधान का उल्लेख किया जाएगा। इसमें दलाल से संबंध और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से संबंध उप-दलालों के नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। दलाल इनके प्रकाशन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम अभिहित या प्राधिकृत करेगा। जिससे विज्ञापन, ब्रॉशर (विषदणिका) आदि में ही दी गयी सूचना की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके और स्टॉक एक्सचेंज से ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति के संबंध में पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी स्थिति में विशेष रूप से उत्तरदायी होगा

जब दो या दो से अधिक दलाल दलाली व्यवसाय के लिए संयुक्त रूप से विज्ञापन देते हैं।

17.4 (क) सदस्य सुनिश्चित करेंगे कि विज्ञापन, ब्रॉशर आदि में दी गयी सूचना शुद्ध और यथातथ्य है और उसमें ऐसे वस्तुपरक अभिनिर्देश तथ्य दिए गए हैं जिन्हें सिद्ध किया जा सकता है।

(ख) इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्टॉक एक्सचेंज के अन्य सदस्यों की प्रतिष्ठा और स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिकूल संदर्भ नहीं दिए जाएंगे।

(ग) विज्ञापन, ब्रॉशर आदि में ऐसा कुछ नहीं दिया जाना चाहिए जो संगत अधिनियम के तहत प्रकाशन के लिए अथवा प्रतिसिद्ध अनाधिकृत भ्रामक सूचना दे या जिसमें कोई वचन किया गया है।

17.5 विज्ञापन, ब्रॉशर आदि में सदस्य से इतर कोई अन्य पक्ष (पार्टी) का प्रचार शामिल नहीं किया जाएगा और इसमें विनियम 17.2 और 17.3 में यथा उपबोधित के सिवा किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के संबंध में कोई संदर्भ नहीं दिया जाएगा।

17.6 विनियम 17.2 और 17.3 में यथा उपबोधित के सिवा सदस्य दलाल अन्य व्यक्तियों को अपना या अपनी फर्म के नाम का विज्ञापन देने की अनुमति नहीं देगा अथवा अपनी फर्म का नाम अन्य व्यक्तियों के विज्ञापनों में प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा।

17.7 सदस्य दलाल विज्ञापन ब्रॉशर आदि की एक प्रति, इसके प्रकाशित होने पर शीघ्र ही स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकारियों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। एक्सचेंज प्राधिकारियों के पास इस संबंध में समाप्त और प्रविरत करने की शक्तियां होगी।

17.8 यदि कोई सदस्य दलाल विज्ञापन, ब्रॉशर आदि के लिए उक्त किसी विनियम का उल्लंघन करता है तो वह इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकारियों या सेबी द्वारा दण्डित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

17.9 यदि स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकारी सदस्य दलाल को निलंबित या चूककर्ता घोषित करके उसके विरुद्ध कोई जुर्माना लगाते हैं या कोई अनुशासिक कार्रवाई करते हैं जैसे कि निलंबन या घोषित चूककर्ता तो इस बात को स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र ही सार्वजनिक किया जाएगा और संबंधित सदस्य-दलाल निलंबन अवधि के दौरान विज्ञापन नहीं देगा।

दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के ट्रेड गारंटी फंड (व्यापार सुरक्षा निधि) उप-विधि से संबंधित उपविधि में संशोधन

जिन्हे भारतीय प्रांतभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने पत्र सं० एसएमडी/एसएएण्डडी/27312/2001 तारीख 20 अप्रैल, 2001 द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

स्टॉक एक्सचेंज की उप-विधि में जहां-कहीं भी "ट्रेड गारंटी फंड" शब्द आया है उसके स्थान पर "सैटलमेंट गारंटी फंड" शब्द लिखा जाएगा।

366क उप-विधि 366 के बाद सम्मिलित किया जाएगा।

दायित्व पूरा न करने पर उपयोग करना।

366 क उप-विधि 366 और अन्य लागू उप-विधियों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, निदेशक बोर्ड या अध्यक्ष और कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड के दो सदस्य, किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित करने से पहले निम्नलिखित और अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन जिन्हे सगत अधिकारी समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे सैटलमेंट गारंटी फंड और अन्य धन का उपयोग उस सीमा तक कर सकेंगे जिस सीमा तक ऐसा सदस्य के जो एक्सचेंज के समाशोधक गृह के प्रति इन उप विधियों और विनियमों में यथा प्रदत्त लेन-देनों के समाशोधन और सैटलमेंट कार्यों से उत्पन्न अपने दायित्वों (किसी समझौते में निधियों/प्रतिभूतियों के दायित्वों की अपूर्ति या अंशतः पूर्ति) को पूरा कर पाने में असफल रहता है।

1. निम्नलिखित मामलों में सदस्य की ट्रेडिंग सुविधा वायदा ले ली जाएगी और सदस्य को देय प्रतिभूतियों का भुगतान रोक लिया जाएगा :

(क) जहां कभी की रकम निर्धारित न्यूनतम आधार पूंजी (बेस मिनिमम कैपिटल) से अधिक है

(ख) जहां 3 महीने की अवधि के भीतर छह अवसरों पर कमी की रकम न्यूनतम आधार पूंजी (बीएमसी) के 20 प्रतिशत से अधिक लेकिन बीएमसी की राशि से कम है

- 2 (क) सदस्य को संपूर्ण कमी की वसूली पर ही निम्नलिखित तालिका में यथा उल्लिखित न्यूनीकृत सकल एक्सपोजर पर ही व्यापार (ट्रेड) करने की अनुमति दी जाएगी।

संचयी निधि में कमी	अनुमत एक्सपोजर सीमा (वर्तमान एक्सपोजर सीमा का)
बीएमसी का 20%-बीएमसी का 50%	80 %
बीएमसी का 50%-बीएमसी का 100%	60%

(ख) इस न्यूनीकृत सकल एक्सपोजर स्तर को चार समझौते (सैटलमेंट्स) की अवधि के लिए रखा जाएगा। अगले चार सैटलमेंट्स के लिए संचयी निधि कमी बीएमसी के 20 से भी कम होने की स्थिति में एक्सपोजर सीमा बहाल की जाएगी।

(ग) यदि कोई सदस्य अपने समाशोधन लेखा में (कलियारिंग एकाउंट) 'निधि कमी के लिए संचयी फंड' (फंडस शार्टेज

कोलेटरल) के रूप में अपनी संचयी निधि (क्यूम्यूलेटिव फंड्स शार्टेज)'' कमी के बराबर नकद जमा उपलब्ध कराता है तो एक्सपोजर सीमा बहाल की जा सकेगी। ऐसा जमा को चार सैटलमेंट अवधि के लिए एक्सचेंज में रखा जाएगा और अगले चार क्रमिक सैटलमेंटों में निधि में कमी नहीं होने पर ही उन्मोचित किया जाएगा।

(घ) "निधि में कमी के लिए संपार्श्विक" के रूप में इस प्रकार जमा की गयी इस रकम पर न तो कोई एक्सपोजर लाभ दिया जाएगा और न ही ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(ङ) सदस्य द्वारा "निधि में कमी के लिए संपार्श्विक" नकद, एफ डी आर या बैंक गारंटी के साथ में जमा किया जा सकेगा।

3. बकाया राशि पर न्यूनतम 0.09: प्रतिदिन ब्याज लगेगा।

4. एक्सचेंज द्वारा सदस्य के समाशोधन और सैटलमेंट दायित्वों (किसी सैटलमेंट में निधियों/प्रतिभूतियों के दायित्वों की आपूर्ति या अंशतः पूर्ति) की पूर्ति करने के लिए निधि से उपयोग की गयी राशि को संबंधित सदस्य द्वारा उस सैटलमेंट के भुगतान की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर जमा नहीं करने की स्थिति में, उसे चूककर्ता घोषित किया जाएगा।

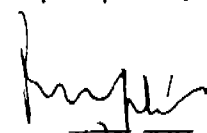
5. इस उप-विधि के उपबंध बोर्ड, अध्यक्ष और कार्यपालक निदेशक की उपविधि-संस्था 308, 308क, 381 और 382 तथा यथाप्रयोज्य अन्य उप-विधियों की शक्तियों के अतिरिक्त है और उनके अत्यीकरण में नहीं है।

385 क उपविधि 385 के बाद सम्मिलित किया जाएगा।

अन्य सैटलमेंट में बकाया अनुबंध

385 क किसी सैटलमेंट के संबंध में जो उस समय तक पूरा नहीं हुआ हो जिस समय किसी सदस्य की ओर से समाशोधन गृह के प्रति अपने दायित्वों (किसी सैटलमेंट में निधियों/प्रतिभूतियों के दायित्वों की आपूर्ति या अंशतः पूर्ति) की पूर्ति करने के लिए एस.जी.एफ से भुगतान किया जाता है कार्यपालक निदेशक ऐसे सदस्य के जोखिम और खर्च पर बाजार में तदनु रूप क्रय और विक्रय अनुबंध करके सदस्य की समस्त या कोई बकाया विक्रय और क्रय स्थिति का निपटारा कर सकेगा। ऐसे निपटान से होने वाले लाभ या हानि, सबसे पहले, निधि द्वारा या निधि में संचय की जाएगी और निधि द्वारा संबंधित सदस्य के निधि के खाते में जमा की जाएगी या नामे डाली जाएगी।

कृते दी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि०


राजेश कपूर
कंपनी सचिव

कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि.

कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड की 26 सितम्बर, 2000 को हुई, 99वीं वार्षिक साधारण सभा में एक्सचेंज की आर्टिकलम्स आफ एसोसिएशन में किए गए परिवर्तन।

(अ) वर्तमान अनुच्छेद 5(7) के बाद एक नई अनुच्छेद 5(8) संयोजित की जावे।

5(8)(1) एक्सचेंज के एक से अधिक सदस्यों द्वारा गठित कोई कंपनी जब उक्त सदस्य के स्थान पर एक्सचेंज के नियमित सदस्य के रूप में सम्मिलित होता है या एक्सचेंज का कोई नियमित सदस्य एक्सचेंज के सभी लागू उप विधि व विनियमन के अनुसार व अनुपालन में व नए सदस्यों को सम्मिलित करने के प्रावधानों के अनुपालन में एक से अधिक शेयर प्राप्त कर लेता है तो वैसा निगमित सदस्य को संयुक्त निगमित सदस्य के रूप में माना जाएगा तथा संयुक्त निगमित सदस्य द्वारा धारित अधिकार/अधिकारों को संघटक सदस्यता का अधिकार के रूप में जाना जावेगा।

(2) सदस्यता प्राप्त करने के लिए सभी अर्हता संयुक्त निगमित सदस्य को पूरा करना होगा तथा एक्सचेंज के निगमित सदस्यों के प्रति लागू सदस्यता अभिदान पूरा करना होगा तथा समय-समय पर एक्सचेंज या सिक्युरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया द्वारा विनिर्दिष्ट मापदंड भी पूरा करना होगा।

(3) एक्सचेंज के समिति द्वारा स्थिरीकृत शेयरों के संख्या से अधिक शेयर कोई भी संयुक्त निगमित सदस्य धारण नहीं करेंगे।

(4) निगमित सदस्य प्रवेश-शुल्क, प्रवेश फीस, वार्षिक चंदा व सेबी को प्रदेश फीस अदा करेंगे तथा प्रत्येक संघटक सदस्यता के लिए सदस्यता प्रतिभूति देंगे।

(5) उप विधि तथा विनियमन के अन्य प्रावधानों के अनुसार व अध्यक्षीन रहने हुए व एक्सचेंज के समिति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट स्थिति के अनुसार प्रत्येक संघटक सदस्यता के लिए संयुक्त निगमित सदस्य आधार न्यूनतम पूंजी रखेंगे।

(6) संयुक्त निगमित सदस्य का शुल्क सिक्युरिटीज एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया तथा एक्सचेंज के समिति मूल्य के द्वारा विनिर्दिष्ट यथा के द्वारा किया जावेगा तथा संयुक्त निगमित सदस्य का शुद्ध मूल्य का संगणना करने के लिए संघटक सदस्यता के प्रति कोई मूल्य नियत किया नहीं जावेगा।

(7) एक्सचेंज के उप-विधि व विनियमन के अनुसार किसी संयुक्त निगमित सदस्यता का केवल एक ही व्यापारिक अधिकार होगा तथा संयुक्त निगमित सदस्यता के सारे संघटक सदस्यता के लिए एक्सचेंज के किसी समिति या स्थायी उप

समिति में उसका केवल एक ही प्रतिनिधि सदस्य रहेगा।

(8) एक्सचेंज के सदस्यों की सभा में किसी संयुक्त निगमित सदस्य का उतना ही मतदान करने का अधिकार होगा जितने संघटक संघटक सदस्यता उक्त संयुक्त निगमित सदस्य का हो।

(9) किसी संयुक्त निगमित सदस्य द्वारा संघटक सदस्यता प्राप्त करने के लिए तिथि के दो वर्ष के अवधि के बाद ही उक्त संयुक्त निगमित सदस्य अपने किसी भी संघटक सदस्यता से समुचित सदस्यता अधिकार को त्यागपत्र द्वारा छोड़ सकता है। संयुक्त निगमित सदस्य ने जिस संघटक सदस्यता के सम्बन्ध में त्याग पत्र दिया उसके दायित्व यदि कोई हो को वहन करना रहेगा।

(10) यदि कोई संयुक्त निगमित सदस्य अपना संघटक सदस्यता/सदस्यताओं को त्याग करना चाहता है तो उक्त संयुक्त निगमित सदस्य उप विधि व विनियमन के अन्य प्रावधान तथा उन शर्तों को समय-समय पर एक्सचेंज की समिति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट हो के अनुसार व अधीन उस व्यक्ति को इन नियमों के अधीन एक्सचेंज का उस सदस्यता, जिसे उक्त संयुक्त निगमित सदस्य त्यागता है, के लिए अर्हताप्राप्त है का नामांकन कर सकता है तथा शेष संघटक सदस्यता यदि कोई हो, को उक्त संयुक्त निगमित सदस्य बना सकेगा।

(11) संयुक्त निगमित सदस्य सभी संघटक सदस्यताओं के लिए केवल एक ही समुच्चय लेख पुस्तिका रखेगा।

(12) सिक्युरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया एक्सचेंज या एक्सचेंज को किसी समिति या एक्सचेंज का किसी अधिकारी द्वारा संयुक्त निगमित सदस्य के विरुद्ध कृत क्रिया यथा परिनिंदा, चेतावनी, जुर्माना, निलंबन, निष्कासन, अतिक्रम या प्रत्याहरण सदस्यता के अधिकारी को निलंबित या शोषित करना या अन्य क्रिया संयुक्त निगमित सदस्य के सभी संघटक सदस्यता के विरुद्ध प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण :

खण्ड (10) के व्यापकता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी कारण से किसी संयुक्त निगमित सदस्य का व्यतिक्रम या प्रत्याहरण घोषित हो जाने पर उक्त संयुक्त निगमित सदस्य अपने सारे संघटक सदस्यता के सम्बन्ध में एक्सचेंज का सदस्य न रहेगा तथा इन नियमों उपविधियों व विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार वे सभी संघटक सदस्यता व नामांकन के अधिकारी एक्सचेंज या शासी बोर्ड में निहित हो जावेगा।

(13) यदि किसी कारण से कोई संयुक्त निगमित सदस्य एक्सचेंज के सदस्य रहने का हक से वंचित या निरक्षित हो जाता है तो उक्त संयुक्त निगमित सदस्य सभी संघटक सदस्यता के संघ में एक्सचेंज का सदस्य न रहेंगे तथा उस प्रकार के सभी सदस्यताओं के संबंध सभी संघटक, सदस्यता व नामांकन के अधिकार इन नियमों उप विधियों व विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार एक्सचेंज या शामी बोर्ड में निहित हो जावेगा।

(14) किसी संयुक्त निगमित सदस्य का यह भी हक होगा कि वह अन्य सभी अधिकार व विशेषाधिकार प्राप्त हो तथा उसका यह भी दायित्व होगा कि एक्सचेंज के प्रति अपना दायित्व बाध्यता चुकाने जैसा वर्तमान में किसी साधारण सदस्य को प्राप्त हो। प्रति लागू हो सके बावजूद कि एक्सचेंज के उप विधियों व विनियमनों में उसका कोई विनिर्दिष्टकरण न हो व शर्तें कि किसी संयुक्त निगमित सदस्य का उक्त प्रकार अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता व दायित्व अपने संघटक सदस्यता के आनुपातिक होगा।

ब--वर्तमान अनुच्छेदों 25 अ(6) व 25 अ(66) को हटा दिया जावेगा तथा वर्तमान अनुच्छेदों 25 अ(फ) 25 अ(ज) व 25 अ(छ) को 25 अ(इ) 25 अ(फ) व 25 अ(ज) के रूप में पुनः संख्याकित किया जायेगा।

स--वर्तमान अनुच्छेद 45 को हटा दिया जावे व उसके स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद 45 के रूप में प्रतिस्थापित किया जावे।

45. समिति किसी सदस्य या सदस्य पद का उम्मीदवार जिसे उसके अनुच्छेद 5 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त है इस आशय से निर्वाचित किया गया हो तथा जिम्मे प्रवेश शुल्क/प्रभार की पूर्ण राशि या अन्य राशि जिसे समिति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे अदा कर चुका हो के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम शेयर अंतरण को दर्ज नहीं करेगी तथा किसी वर्तमान सदस्य के नाम किसी शेयर का अंतरण को दर्ज करने से इनकार कर सकती है तथा उसे उचित लगे वैसे शर्तें उस प्रकार के अंतरण के सम्बन्ध में लगा सकती है।

(द) अनुच्छेद 100 (13) के प्रथम कंडिका में निम्नलिखित वाक्य एवं/अथवा जायंट स्टॉक कम्पनियों के प्रथम डिबेंचर्स या क्यूमुलेटिव रिडिमैबल प्रेफरेंस शेयर्स के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किया जावे :

“एवं/अथवा संक्षेप या विनिधान के अन्य किसी रूप या ढंग जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 एवं/अथवा भारतीय न्याय

संशोधन अधिनियम 1908 व 1916 में विनिर्दिष्ट हो एवं/अथवा शेफ प्रतिभूति निधि एवं अथवा , ...

इ--वर्तमान अनुच्छेद 101 (1) (अ) (दो) व 101(1) (अ) (तीन) को हटा दिया जावे व उसके स्थान पर निम्नलिखित को अनुच्छेद 101(1) (अ)(दो) के रूप में प्रतिस्थापित किया जावे।

101(1)(अ) (दो) माध्यस्थ उप समिति की सदस्य संख्या तीन से कम व पांच से अधिक नहीं होगी जैसा कि समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी, यह संख्या सभापति व उनके अनुपस्थिति में उप सभापति तथा कार्यपालक निदेशक को अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार दो सदस्यों के अतिरिक्त होगा। माध्यस्थ उप समिति केवल विवेकानुसार एक माध्यस्थ या तीन या उससे अधिक माध्यस्थों को नियुक्त कर माध्यस्थ अधिकरण का गठन कर सकती है बशर्ते कि स्थिता अधिकरण गठित करने वाले सदस्यों की संख्या समसंख्यक नहीं होगा।

ह./ अपठनीय

सचिव

कृते कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि.

कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की समिति की 3 नवम्बर, 2000 को हुई सभा में अध्याय अन्तर्ह के उप-विधि संख्या 321 जो आस्तियों के प्रयोग से संबंधित है, को निम्नलिखित उक्त विधि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

समिति यह निर्देश देगी कि इन प्रावधानों के अधीन जो भी खर्च, प्रभार व व्यय अनुज्ञात है उसे अदा करने के पश्चात् उसके हाथों में शेष शुद्ध आस्तियों को सर्व प्रथम एक्सचेंज के दावों व क्लियरिंग हाउस के दावों व सेबो के दावों यदि कोई हो, के तृप्ति उसके पश्चात् के लिए उपयोजित किया जावे तथा उसके पश्चात् एक्सचेंज के अनुच्छेदों, उप विधियों व विनियमनों के अनुसार बाजार में किए गए संविदा के कारण व्यतिक्रमी के विरुद्ध सदस्यों के स्वीकृत दावों के तृप्ति के लिए उपयोजित किया जावे।

ह./ अपठनीय

सचिव

कृते कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

The provisions contained in NSE (Futures & Options) Trading Regulations are amended to the extent given hereunder:-

1. The definitions of the following terms are incorporated in the definitions Chapter at appropriate places :

American Style option contract

American Style option contract means an option contract which may be exercised on any day on or before the expiration day.

At the money or Near the money strike price

'At the money or Near the money' strike price is the strike price of the option contract at or within such range of the underlying as may be specified by the Relevant Authority from time to time.

Capped Style option contract

Capped Style option contract means an option contract which shall be exercised *ipso facto* on or before expiration time upon the value of the underlying reaching the cap price for the option at any time as the Relevant Authority may specify from time to time for various option contracts.

Contract Value

Contract Value is the value arrived at by multiplying the strike price of the options contract with the regular/market lot size.

Exercise

Exercise means the invocation of right, in accordance with and subject to Rules, Byelaws and Regulations of the Exchange, by the holder of the option.

Exercise Price

The Exercise Price or strike price is the price per unit of trading at which the option holder has the right either to buy or sell the underlying upon exercise of the option.

Exercise Style

Exercise Style of an option refers to the price at which and/or time as to when the option is exercisable by the holder. It may either be an American style option or an European style option or capped style option or such other exercise style of option as the Relevant Authority may prescribe from time to time.

Expiration time

Expiration time is the close of business hours on the expiration day of the option contract or such other time as may be specified by the Relevant Authority from time to time.

European Style option contract

European Style option contract means an option contract, which may be exercised only on the expiration day, on or before the expiration time, or such other day and/ or time as may be specified by the Relevant Authority from time to time.

In the money strike price

In the money strike price, in case of Put Option, is the strike price of the option contract which is above 'At the money or Near the money' strike price.

In the money strike price, in case of Call Option, is the strike price of the option contract which is below 'At the money or Near the money' strike price.

Option Class

Option contracts of the same type and style that cover the same underlying constitute an option class.

Option Holder

Option holder is a person who has bought an option contract.

Option Seller

Option seller is a person who has sold an option contract.

Out of the money strike price

Out of the money strike price, in case of Put Option, is the strike price of the option contract which is below 'At the money or Near the money' strike price.

Out of the money strike price, in case of Call Option, is the strike price of the option contract which is above 'At the money or Near the money' strike price

Premium

Premium is the price which the buyer of the option pays to the seller of the option for the rights conveyed by the option contract.

Settlement price

Settlement price, in respect of Exercise Settlement, is the closing price of the underlying on the day of exercise or such other price as may be decided by the relevant authority from time to time.

Strike Price Interval

Strike price interval is the gap between any two successive strike prices which the Relevant Authority may prescribe from time to time.

Series of Options

Series of Options means all options of the same class having the same exercise price and expiration day.

Type of option

Type of option means the classification of an option as either a put or a call.

Underlying

Underlying is one with reference to which derivative contracts are permitted to be traded by the Exchange from time to time.

2. The following definition has been amended :

Regular Lot/Market Lot Size

Regular Lot/Market Lot Size means the number of units that can be bought or sold in a specified derivatives contract as may be specified by the Relevant Authority of F&O Segment of the Exchange from time to time.

3. The following regulations are inserted after the existing regulation 3.1.1 of Chapter III of the Regulations :

QUOTE

- 3.1.2 The Relevant Authority may from time to time introduce new contracts at such strike prices ('in the money', 'at the money or near the money' and 'out of the money') for put /call options respectively for every month after the expiry of the previous month contracts.
- 3.1.3 The Relevant Authority may from time to time introduce one or more new contract(s) at new strike prices for both call and put options respectively as and when the prices of the underlying changes beyond pre-defined parameters prescribed by it.
- 3.1.4 The Relevant Authority may from time to time prescribe the criteria for underlying with reference to which the option contracts shall be permitted to be traded on the F&O Segment of the Exchange.

UNQUOTE

4. The existing regulation 3.1.2 is re-numbered as 3.1.5.
5. The following regulations are inserted after the re-numbered regulation 3.1.5 of Chapter III of the Regulations :

QUOTE

- 3.1.6 The Relevant Authority may from time to time prescribe the exercise style of an option.
- 3.1.7 The Relevant Authority may at any time introduce additional series of option contracts with different exercise prices based on changes in the value of the underlying or such other factors and circumstances including investor interest, market conditions, etc. as may be decided from time to time.

UNQUOTE

6. The existing regulation 3.1.3 is re-numbered as 3.1.8.
7. The following regulations are inserted after the re-numbered regulation 3.1.8 of Chapter III of the Regulations :

QUOTE

- 3.1.9 If the Relevant Authority is of the opinion that a particular underlying no longer meets its requirements for options trading or is not eligible for trading or if the Relevant Authority decides to discontinue trading in a particular options series for such reason(s) as it may deem fit, it may stop introducing new options on that underlying and may in such circumstances impose restrictions on transactions that open new positions in options series that have been previously introduced.
- 3.1.10 The Relevant Authority may discontinue trading in a particular option contract if there are no open positions in such a contract.
- 3.1.11 The Relevant Authority may limit the total number of puts or calls on the same underlying that a single investor or group of investors acting in concert may exercise during such time period as may be prescribed by the Relevant Authority from time to time. The Relevant Authority may also limit the maximum number of options on the same side of the market (i.e., calls held plus puts written or puts held plus calls written) with respect to a single underlying that may be carried in the accounts of a single investor or group of investors acting in concert.

UNQUOTE

8. The existing regulation 3.7.3 is amended in the following manner :

QUOTE

The F&O Segment of the Exchange/Clearing Corporation/Clearing Member shall levy initial margin and such other margins on derivatives contract of such amounts and in such manner as may be specified from time to time by the Relevant Authority.

UNQUOTE

9. The following regulations are inserted after the existing regulation 3.8 of Chapter III of the Regulations :

QUOTE

- 3.9 The Relevant Authority may from time to time prescribe

- (a) the mode, method or manner in which of the premium shall be collected by the trading member from the constituent;
- (b) the mode, method or manner in which the margins shall be collected by the trading member from the constituent;
- (c) the manner or form in which and time within which the constituent shall give exercise notice to the trading member;

- (d) the manner or form in which and time within which the trading member shall assign exercise notice to its constituents account; and
- (e) the mode, method of exercise, for different option contracts.

UNQUOTE

10. The revised format of the contract note after incorporating necessary changes is given as Annexure I.
11. The revised 'Risk Disclosure Document' after incorporating necessary changes is given as Annexure II.

For National Stock Exchange of India Limited


J. Ravichandran
Company Secretary &
Sr. Vice President

ANNEXURE IA**CONTRACT NOTE**

Subject to exclusive jurisdiction of the courts in MUMBAI only

**CONTRACT NOTE ISSUED BY MEMBERS ACTING FOR CONSTITUENTS
AS BROKERS AND AGENTS**

Tel no

Tlx no:

Fax no

Name of Partner/
Proprietor/Authorised Signatory

Dealing Office address/Tel no/Tlx no/Faxno.

Name of the Member

Address of the Member

SEBI Regn.No. of the Member

Code No. of the Member:

Contract No:

To,
Constituent Name/Code No/Constituent Order Ref. NoTo be stamped as per the
provisions applicable under
the relevant Stamp Act

DATE :

Sir/ Madam,

I/We have this day done by order and on your account the following transactions:

Order No.	Trade No	Trade Time	Bought for you					Contract Specifications	Sold for you				
			Quantity	Price	Brokerage (Total)	Service Tax	Amount (Rs.)		Quantity	Price	Brokerage (Total)	Service Tax	Amount (Rs.)

OTHER LEVIES, IF ANY:

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations and usages of The National Stock Exchange of India Limited, Mumbai.

This contract is subject to the exclusive jurisdiction of the Courts in Mumbai only.

In the event of any claim (whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions, the matter shall be referred to arbitration as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Mumbai.

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims (whether admitted or not), differences and disputes in respect of any dealings, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings, transactions or contracts have been entered into or not) shall be submitted to and decided by arbitration as provided in the Rules, Bye-Laws and the provisions printed overleaf form a part of the contract.

MUMBAI

Date

Yours faithfully,

Member of National Stock Exchange of India Limited

EXTRACTS FROM THE BYELAWS & REGULATIONS PERTAINING TO ARBITRATION

(1) All claims, differences or disputes between the Trading Members *inter se* and between Trading Members and Constituents arising out of or in relation to dealings, contracts and transactions made subject to the Bye-Laws, Rules and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their validity, construction, interpretation, fulfillment or the rights, obligations and liabilities of the parties thereto and including any question of whether such dealings, transactions and contracts have been entered into or not shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of these Byelaws and Regulations.

(2) In all dealings, contracts and transactions, which are made or deemed to be made subject to the Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange, the provisions relating to arbitration as provided in these Byelaws and Regulations shall form and shall be deemed to form part of the dealings, contracts and transactions and the parties shall be deemed to have entered into an arbitration agreement in writing by which all claims, differences or disputes of the nature referred to in clause (1) above shall be submitted to arbitration as per the provisions of these Byelaws and Regulations.

(3) All claims, differences or disputes referred to in clause (1) above shall be submitted to arbitration within six months from the date on which the claim, difference or dispute arose or shall be deemed to have arisen. The time taken in conciliation proceedings, if any, initiated and conducted as per the provisions of the Act and the time taken by the Relevant Authority to administratively resolve the claims, differences or disputes shall be excluded for the purpose of determining the period of six months.

(4) Save as otherwise specified by the Relevant Authority, the seat of arbitration for different regions shall be as follows:

Seats of Arbitration - REGIONAL ARBITRATION CENTRES (RACs)	STATES COVERED BY THE RAC
DELHI	Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Jammu & Kashmir, Chandigarh, Rajasthan.
CALCUTTA	West Bengal, Bihar, Orissa, Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Sikkim, Meghalaya, Nagaland, Tripura.
CHENNAI	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamilnadu, Andaman & Nicobar, Lakshadweep, Pondicherry.
MUMBAI	Maharashtra, Gujarat, Goa, Daman, Diu, Dadra & Nagar Haveli, Madhya Pradesh.

(5) Save as otherwise specified by the Relevant Authority, the criteria for selection of seat of arbitration for a particular matter is as follows:

Parties to Dispute	Place of filing the Application for Arbitration	Place of hearing
TM* V/s Trading Member	a) If the dealing offices of both Trading Members from where the dealing was carried is situated in any one of the states covered by a particular RAC then the Application for Arbitration shall be filed by the Applicant-Trading Member in that RAC. b) If the dealing offices of both Trading Members from where the dealing was carried out are situated in states covered by different RACs then the Application for Arbitration shall be filed in the RAC covering the state in which the Respondent -Trading Member's dealing office is situated.	The hearing shall be held at the RAC where the Applicant-Trading Member has filed the Application for Arbitration and the Respondent-Trading Member shall attend the hearing in that particular RAC.
TM V/s C* & C V/s TM	The Application for Arbitration shall be filed by the Applicant at the RAC covering the state in which the dealing office of the Trading Member from which the dealing was carried out is situated.	The hearing shall be held in that RAC where the Applicant has filed the Application for Arbitration and the Respondent shall attend the hearing in that particular RAC.

* "TM" stands for "Trading Member" and "C" stands for "Constituent."

For more details please refer to Chapter XI of the Byelaws and Chapter 5 of Futures & Options segment Trading Regulations of National Stock Exchange of India Limited.

ANNEXURE IB**CONTRACT NOTE**

Subject to exclusive jurisdiction of the courts in MUMBAI only

Tel no.

Tlx no:

Fax no

Name of Partner/
Proprietor/Authorised Signatory**CONTRACT NOTE ISSUED BY MEMBERS DEALING WITH
CONSTITUENTS AS PRINCIPALS**

Dealing Office address/Tel no/Tlx no/Fax no

Name of the Member
Address of the Member
SEBI Regn No. of the Member

Code No. of the Member:

Contract No.

To,
Constituent Name/Code No/Constituent Order Ref. No

Sir/ Madam,

To be stamped as per the
provisions applicable under the
relevant Stamp Act

DATE :

I/We have this day ENTERED INTO following transactions as PRINCIPAL(S) TO PRINCIPAL(S):

			Bought from you			Contract Specifications	Sold to you		
Order No.	Trade No.	Trade Time	Quantity	Price	Amount (Rs.)		Quantity	Price	Amount (Rs.)

OTHER LEVIES, IF ANY:

This contract is subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations and usages of The National Stock Exchange of India Limited, Mumbai.

This contract is subject to the exclusive jurisdiction of the Courts in Mumbai only.

In the event of any claim (whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions, the matter shall be referred to arbitration as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Mumbai.

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims (whether admitted or not), differences and disputes in respect of any dealings, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings, transactions or contracts have been entered into or not) shall be submitted to and decided by arbitration as provided in the Rules, Bye-Laws and the provisions printed overleaf form a part of the contract.

MUMBAI
Date

Yours faithfully.

Member of National Stock Exchange of India Limited

EXTRACTS FROM THE BYELAWS & REGULATIONS PERTAINING TO ARBITRATION

(1) All claims, differences or disputes between the Trading Members *inter se* and between Trading Members and Constituents arising out of or in relation to dealings, contracts and transactions made subject to the Bye-Laws, Rules and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their validity, construction, interpretation, fulfillment or the rights, obligations and liabilities of the parties thereto and including any question of whether such dealings, transactions and contracts have been entered into or not shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of these Byelaws and Regulations.

(2) In all dealings, contracts and transactions, which are made or deemed to be made subject to the Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange, the provisions relating to arbitration as provided in these Byelaws and Regulations shall form and shall be deemed to form part of the dealings, contracts and transactions and the parties shall be deemed to have entered into an arbitration agreement in writing by which all claims, differences or disputes of the nature referred to in clause (1) above shall be submitted to arbitration as per the provisions of these Byelaws and Regulations.

(3) All claims, differences or disputes referred to in clause (1) above shall be submitted to arbitration within six months from the date on which the claim, difference or dispute arose or shall be deemed to have arisen. The time taken in conciliation proceedings, if any, initiated and conducted as per the provisions of the Act and the time taken by the Relevant Authority to administratively resolve the claims, differences or disputes shall be excluded for the purpose of determining the period of six months.

(4) Save as otherwise specified by the Relevant Authority, the seat of arbitration for different regions shall be as follows:

Sets of Arbitration - REGIONAL ARBITRATION CENTRES (RACs)	STATES COVERED BY THE RAC
DELHI	Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Jammu & Kashmir, Chandigarh, Rajasthan.
CALCUTTA	West Bengal, Bihar, Orissa, Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Sikkim, Meghalaya, Nagaland, Tripura.
CHENNAI	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamilnadu, Andaman & Nicobar, Lakshadweep, Pondicherry.
MUMBAI	Maharashtra, Gujarat, Goa, Daman, Diu, Dadra & Nagar Haveli, Madhya Pradesh,

(5) Save as otherwise specified by the Relevant Authority, the criteria for selection of seat of arbitration for a particular matter is as follows:

Parties to Dispute	Place of filing the Application for Arbitration	Place of hearing
TM* V/s Trading Member	a) If the dealing offices of both Trading Members from where the dealing was carried is situated in any one of the states covered by a particular RAC, then the Application for Arbitration shall be filed by the Applicant-Trading Member in that RAC. b) If the dealing offices of both Trading Members from where the dealing was carried out are situated in states covered by different RACs, then the Application for Arbitration shall be filed in the RAC covering the state in which the Respondent - Trading Member's dealing office is situated.	The hearing shall be held at the RAC where the Applicant-Trading Member has filed the Application for Arbitration and the Respondent-Trading Member shall attend the hearing in that particular RAC.
TM V/s C* & C V/s TM	The Application for Arbitration shall be filed by the Applicant at the RAC covering the state in which the dealing office of the Trading Member from which the dealing was carried out is situated.	The hearing shall be held in that RAC where the Applicant has filed the Application for Arbitration and the Respondent shall attend the hearing in that particular RAC.

* "TM" stands for "Trading Member" and "C" stands for "Constituent."

For more details please refer to Chapter XI of the Byelaws and Chapter 5 of Futures & Options segment Trading Regulations of National Stock Exchange of India Limited.

ANNEXURE II**RISK DISCLOSURE DOCUMENT**

(THIS DOCUMENT SHOULD BE READ BY EACH AND EVERY PROSPECTIVE CONSTITUENT BEFORE ENTERING INTO DERIVATIVES TRADING AND SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH CLAUSE 4.3.3 OF THE NSE (FUTURES & OPTIONS) TRADING REGULATIONS OF 1992 AS AMENDED BY THE EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSEIL))

NSEIL has not passed the merits of participating in this trading segment nor has NSEIL passed the adequacy or accuracy of this disclosure document. This brief statement does not disclose all of the risks and other significant aspects of trading. In light of the risks, you should undertake such transactions only if you understand the nature of the contracts (and contractual relationships) into which you are entering and the extent of your exposure to risk. Risk of loss in trading in derivatives can be substantial. You should carefully consider whether trading is appropriate for you in light of your experience, objectives, financial resources and other relevant circumstances. Derivatives trading thus requires not only the necessary financial resources but also the financial and emotional temperament. In case of any consequent loss in the Futures & Options segment, the constituent shall be solely responsible for such loss and the Exchange or SEBI shall not be responsible for the same and it will not be open to a client to take the plea that no adequate disclosure was made or he was not explained the full risk involved by the member. The client will be solely responsible for the consequences and no contract can be rescinded on that account.

RISKS INVOLVED IN TRADING IN DERIVATIVES CONTRACTS**Effect of "Leverage" or "Gearing"**

The amount of margin is small relative to the value of the derivatives contract so the transactions are 'leveraged' or 'geared'.

Derivatives trading, which is conducted with a relatively small amount of margin, provides the possibility of great profit or loss in comparison with the principal investment amount. But transactions in derivatives carry a high degree of risk.

You should therefore completely understand the following statements before actually trading in derivatives trading and also trade with caution while taking into account one's circumstances, financial resources, etc. If the prices move against you, you may lose a part of or whole margin equivalent to the principal investment amount in a relatively short period of time. Moreover, the loss may exceed the original margin amount.

A. Futures trading involves daily settlement of all positions. Every day the open positions are marked to market based on the closing level of the index. If the index has moved against you, you will be required to deposit the amount of loss (notional) resulting from such

movement. This margin will have to be paid within a stipulated time frame, generally before commencement of trading next day.

- B. If you fail to deposit the additional margin by the deadline or if an outstanding debt occurs in your account, the broker/member may liquidate a part of or the whole position or substitute securities. In this case, you will be liable for any losses incurred due to such close-outs.
- C. Under certain market conditions, an investor may find it difficult or impossible to execute transactions. For example, this situation can occur due to factors such as illiquidity i.e. when there are insufficient bids or offers or suspension of trading due to price limit or circuit breakers etc.
- D. In order to maintain market stability, the following steps may be adopted: changes in the margin rate, increases in the cash margin rate or others. These new measures may be applied to the existing open interests. In such conditions, you will be required to put up additional margins or reduce your positions.
- E. You must ask your broker to provide the full details of the derivatives contracts you plan to trade i.e. the contract specifications and the associated obligations.

Risk-reducing orders or strategies

The placing of certain orders (e.g., "stop-loss" orders, or "stop-limit" orders) which are intended to limit losses to certain amounts may not be effective because market conditions may make it impossible to execute such orders. Strategies using combinations of positions, such as "spread" positions, may be as risky as taking simple "long" or "short" positions.

Suspension or restriction of trading and pricing relationships

Market conditions (e.g., illiquidity) and/or the operation of the rules of certain markets (e.g., the suspension of trading in any contract or contract month because of price limits or "circuit breakers") may increase the risk of loss due to inability to liquidate/offset positions.

Deposited cash and property

You should familiarise yourself with the protections accorded to the money or other property you deposit particularly in the event of a firm insolvency or bankruptcy. The extent to which you may recover your money or property may be governed by specific legislation or local rules. In some jurisdictions, property which has been specifically identifiable as your own will be protected in the same manner as cash for purposes of distribution in the event of a shortfall. In case

of any dispute with the member, the same shall be subject to arbitration as per the byelaws/regulations of the Exchange.

Risk of Option holders

1. An option holder runs the risk of losing the entire amount paid for the option in a relatively short period of time. This risk reflects the nature of an option as a wasting asset which becomes worthless when it expires. An option holder who neither sells his option in the secondary market nor exercises it prior to its expiration will necessarily lose his entire investment in the option. If the price of the underlying does not change in the anticipated direction before the option expires to an extent sufficient to cover the cost of the option, the investor may lose all or a significant part of his investment in the option.
2. The Exchange may impose exercise restrictions and have authority to restrict the exercise of options at certain times in specified circumstances.

Risks of Option Writers

1. If the price movement of the underlying is not in the anticipated direction the option writer runs the risks of losing substantial amount.
2. The risk of being an option writer may be reduced by the purchase of other options on the same underlying interest-and thereby assuming a spread position-or by acquiring other types of hedging positions in the options markets or other markets. However, even where the writer has assumed a spread or other hedging position, the risks may still be significant. A spread position is not necessarily less risky than a simple 'long' or 'short' position.
3. Transactions that involve buying and writing multiple options in combination, or buying or writing options in combination with buying or selling short the underlying interests, present additional risks to investors. Combination transactions, such as option spreads, are more complex than buying or writing a single option. And it should be further noted that, as in any area of investing, a complexity not well understood is, in itself, a risk factor. While this is not to suggest that combination strategies should not be considered, it is advisable, as is the case with all investments in options, to consult with someone who is experienced and knowledgeable

with respect to the risks and potential rewards of combination transactions under various market circumstances.

Commission and other charges

Before you begin to trade, you should obtain a clear explanation of all commission, fees and other charges for which you will be liable. These charges will affect your net profit (if any) or increase your loss.

Trading facilities

The Exchange offers electronic trading facilities which are computer-based systems for order-routing, execution, matching, registration or clearing of trades. As with all facilities and systems, they are vulnerable to temporary disruption or failure. Your ability to recover certain losses may be subject to limits on liability imposed by the system provider, the market, the clearing house and/or member firms. Such limits may vary; you should ask the firm with which you deal for details in this respect.

This document does not disclose all of the risks and other significant aspects involved in trading on a derivatives market. The constituent should therefore study derivatives trading carefully before becoming involved in it.

I hereby acknowledge that I have received and understood this risk disclosure statement.

Customer Signature (If Partner, Corporate, or other Signatory, then attest with company seal.)

□ □ □ □ □ □ □ □

F D M M Y Y Y Y

NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION LIMITED

The provisions contained in NSCC (Futures & Options) Regulations are amended to the extent given hereunder. -

(1) The definitions of the following terms are incorporated in the definitions chapter at appropriate places:

1. American style option contract

American Style option contract means an option contract which may be exercised on any day, on or before the expiration day.

2. Assignment

Assignment means allocation of an option contract which is exercised, to a short position in the same option contract, at the same strike price, for fulfillment of the obligation, in accordance with the procedure specified by the Relevant Authority, from time to time.

3. At the money or Near the money strike price

At the money or Near the money' strike price is the strike price of the option contract at or within such range of the underlying as may be specified by the Relevant Authority from time to time.

4. Capped Style option contract

Capped Style option contract means an option contract which shall be exercised *ipso facto* on or before expiration time upon the value of the underlying reaching the cap price for the option at any time as the Relevant Authority may specify from time to time for various option contracts.

5. Contract Value

Contract Value is the value arrived at by multiplying the strike price of the option contract with the regular /market lot size.

6. Exercise

Exercise means the invocation of right, in accordance with and subject to Rules, Byelaws and Regulations of Clearing Corporation, by the holder of the option.

7. Exercise or Strike Price

Exercise Price or Strike Price is the price per unit of trading, at which the option holder has the right either to buy or sell the underlying, upon exercise of the option.

8. Exercise Style

Exercise Style of an option refers to the price at which and/or time as to when the option is exercisable by the holder. It may either be an American style option or an European style option or capped style option or such other exercise style of option as the Relevant Authority may prescribe from time to time.

9. Expiration time

Expiration time is the close of business hours on the expiration day of the option contract or such other time as may be specified by the Relevant Authority from time to time.

10. European style option contract

European Style option contract means an option contract, which may be exercised only on the expiration day, on or before the expiration time, or such other day and/ or time as may be specified by the Relevant Authority from time to time.

11. Futures style premium settlement

Futures Style premium settlement means premium settlement of option contracts based on settlement system as specified by the relevant authority for futures contracts and would include initial margins and mark to market settlement on long and short option positions, in accordance with the Regulations specified by the Relevant Authority from time to time.

12. In the money strike price

In the money strike price, in case of Put Option, is the strike price of the option contract which is above 'At the money or Near the money' strike price.

In the money strike price, in case of Call Option, is the strike price of the option contract which is below 'At the money or Near the money' strike price.

13. Option Class

Option contracts of the same type and style that cover the same underlying constitute an option class.

14. Option Holder

Option holder is a person who has bought an option contract.

15. Option Seller

Option seller is a person who has sold an option contract.

16. Options contract

Option Contract is a type of Derivatives Contract which gives the buyer/holder of the contract the right (but not the obligation) to buy and/ or sell the underlying security at a predetermined price within or at the end of a specified period. The option contract, which gives a right to buy, is called a Call Option and the option contract that gives a right to sell is called a Put Option.

17. Out of the money strike price

Out of the money strike price, in case of Put Option, is the strike price of the option contract which is below 'At the money or Near the money' strike price.

Out of the money strike price, in case of Call Option, is the strike price of the option contract which is above 'At the money or Near the money' strike price.

18. Premium

Premium is the price which the buyer of the option pays to the seller of the option for the rights conveyed by the option contract.

19. Premium style premium settlement

Premium Style Premium Settlement means payment of full option premium by the buyer/holder of an option contract to the seller of the option contract, on purchase of such option contract by the buyer/ holder.

20. Series of Options

Series of Options means all options of the same class having the same exercise price and expiration day.

21. Specified period

Specified period for an option contract is the time period between the start day and the expiration time.

22. Settlement Amount

Settlement amount shall include premium settlement amount and/ or exercise settlement amount and /or such other amount as may be specified by the Relevant Authority from time to time.

23. Settlement Price

Settlement price, in respect of Exercise Settlement, is the closing price of the underlying on the day of exercise or such other price as may be decided by the relevant authority from time to time.

24. Type of option

Type of option means the classification of an option as either a put or a call.

25. Underlying

Underlying is one with reference to which derivative contracts are permitted to be traded by the Specified Exchange from time to time.

(II) The following chapter is inserted, after Chapter 5, as Chapter 5A

QUOTE**5A SETTLEMENT OF INDEX OPTION CONTRACTS****5A.1 Daily Premium Settlement for Index Option contracts**

F&O Clearing Members with a long position in Index Option contracts are obliged to effect pay-in to Clearing Corporation of the premium value at which the index option contracts were purchased, towards settlement and F&O Clearing members with a short position in Index Option contracts are entitled to receive the premium value at which the Index option contracts were sold, towards settlement, from Clearing Corporation.

- a) Mode of premium settlement: The daily premium settlement obligation shall be paid in cash or such other form as may be specified by the relevant authority.
- b) Style of premium settlement: The style of premium settlement may be premium style or futures style or such other style as may be specified by the relevant authority from time to time. Clearing Corporation shall specify the style of premium settlement for all index option contracts that are cleared and settled. Clearing Corporation shall from time to time, specify the procedure for premium settlement for one or more styles of premium settlement.
- c) Method of premium settlement: Clearing Corporation shall arrive at the premium settlement amount payable or receivable by the respective clearing members at the end of each trading day or such other time, as may be specified by the relevant authority from time to time, for all index option contracts cleared and settled, in accordance with the style of premium settlement, and communicate the same to the Clearing Members. Accordingly,

such Clearing Members shall pay or receive such premium settlement amount towards settlement to or from Clearing Corporation.

- d) Time of premium settlement: The relevant authority shall specify from time to time the day and time when Premium settlement shall take place

5A.2 Exercise

(a) Type of Exercise

Type of exercise for an index option contract may be Voluntary or Automatic or such other type as may be specified by the relevant authority from time to time.

1. Voluntary Exercise

Voluntary exercise is when a Clearing Member exercises an in-the-money index option contract, at his volition, subject to the Rules/ By-laws and Regulations of Clearing Corporation.

2. Automatic Exercise

Automatic exercise is when all in-the-money index option contracts are automatically deemed to be irrevocably exercised, on the Expiration date, subject to the Rules/ By-laws and Regulations of Clearing Corporation.

Notwithstanding the foregoing, if a Clearing Member desires not to exercise an in-the-money index option contract, it shall be the responsibility of such Clearing Member to give appropriate instructions in accordance with Regulation 5A.2(c) 3.

Further, if a Clearing Member desires to exercise an at-the-money index option contract or an out-of-the-money index option contract, it shall be the responsibility of such Clearing Member to give appropriate instructions in accordance with Regulation 5A.2.(c) 1.

(b) Exercise Mechanisms.

Exercise mechanism may be Interim or Final or such other mechanism as may be specified by the relevant authority from time to time.

1. Interim Exercise

Interim Exercise is only in case of American style index option contracts. The Exercise type may be voluntary.

2. Final Exercise

Final Exercise is in case of both American Style index option contract and European style index option contract. The Exercise type may be voluntary or automatic.

(c) Exercise procedure

The procedure for exercise of an index option contract by a Clearing Member shall be as specified hereinafter or such other procedure as specified by the relevant authority from time to time:

1. Notice of exercise to Clearing Corporation

The relevant authority may specify from time to time the provisions regarding exercise of index option contracts including:

- (a) type of members who may exercise
- (b) facility/ system for tendering notice of exercise
- (c) day/ s when exercise notice may be submitted
- (d) minimum lot size of index option contracts which may be exercised
- (e) time period within which exercise notice may be submitted
- (f) maximum number of index option contracts which may be exercised on a day or within a period
- (g) such other conditions as it deems fit

Notice for exercise shall be deemed to be on the long in-the-money positions in an index option contract at the close of the trading hours on the day the notice of exercise has been tendered, or such other day/ time as may be specified by the relevant authority from time to time.

No Member shall revoke or modify any exercise notice so submitted except as provided under the Rules, By-laws and Regulations of Clearing Corporation.

2. Acceptance of Exercise notice by Clearing Corporation

An exercise notice which has been tendered in accordance with the provisions as detailed in 5A.2.1 may be considered for acceptance by the relevant authority.

Such exercise notices shall be declared as valid or invalid by the relevant authority only after processing, at the close of trading hours on the day on which the exercise notice has been tendered, or on such other day or time, as may be

specified by the relevant authority from time to time. All invalid exercise notices shall stand rejected by the relevant authority.

Notwithstanding the foregoing, the relevant authority may reject an exercise notice where:

(i) if the Clearing member who has tendered a notice for exercise has no open positions in that contract, at the time when such notice is processed by the relevant authority.

(ii) any other reason

3. Revocation of an exercise notice by a member

Unless permitted otherwise, all valid exercise notices shall be irrevocable.

Notwithstanding the foregoing, the relevant authority may specify from time to time the terms and conditions subject to which the exercise notice may be revoked by a Clearing member.

4. Restrictions on Exercise

The relevant authority shall be empowered to impose such restrictions on exercises in any index option contract as it may deem necessary in the interest of maintaining a fair and orderly market in the index option contract or in the underlying securities or otherwise deems advisable in the public interest or for the protection of investors. Any exercise in contravention of such restriction is not valid.

5A.3 Assignment

(a) Assignment methods

Assignment methods may be Proportionate or Random or such other method as may be specified by the relevant authority from time to time.

1. Proportional Assignment

Proportional Assignment takes place when an index option contract which has been exercised is allocated proportionately to short positions in the index option contract with the same series, in accordance with the procedure specified by the relevant authority from time to time.

2. Random Assignment

Random Assignment takes place when an index option contract which has been exercised, is allocated randomly to one or more than one short position, in the

index option contract with the same series, in accordance with the procedure specified by the relevant authority from time to time.

(b) Assignment procedure

Exercise notices accepted by Clearing Corporation shall be assigned in accordance with the Assignment method, as may be specified by the relevant authority from time to time, to open short positions in the index option contracts, with the same series, for fulfillment of obligations. The assigned Clearing Members shall be liable to pay the exercise settlement amount to Clearing Corporation. Clearing Corporation shall in turn pass on such amount to the Clearing Member who has exercised the index option contract subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of Clearing Corporation.

(c) Allocation of Assignment by Clearing Members

The relevant authority may specify from time to time the procedure for allocation of assigned short positions in the index option contract by the Clearing Members, to their clients/ Trading Members/ clients of Trading members.

5A.4 Exercise Settlement

An index option contract which has been exercised and assigned by the relevant authority shall be settled in accordance with the procedure provided hereinafter or such other procedure as may be specified by the relevant authority from time to time.

- a) Mode of settlement : Settlement obligation shall be paid in cash or such other form as may be specified by the relevant authority.
- b) Method of settlement: (1) An index option contract which has been exercised, and the open short position to which such exercised index option contract has been assigned, shall be deemed to be closed out at the settlement price on the day of exercise.

(2) The Clearing Member who has been assigned the index option contract shall be liable to pay to Clearing Corporation any loss represented by the difference between the strike price of the index option contract and the settlement price for each unit of the index option contract (which has been assigned) which shall, in turn be passed on by Clearing Corporation to the Clearing Member who has exercised the index option contract subject to the Rules, Byelaws and Regulations of Clearing Corporation.

(3) The Clearing Member who has exercised the index option contract shall be entitled to receive from the Clearing Corporation any profit represented by the difference between the strike price of the index option contract and the settlement price for each unit of the index option contract (which has been exercised) which shall be collected by the Clearing Corporation from the Clearing Member who has

been assigned the index option contract subject to the Rules, Byelaws and Regulations of Clearing Corporation.

(4) Such loss or profit shall be referred to as 'Exercise Settlement Value'.

- c) Time of settlement : The relevant authority shall specify from time to time the day and time when settlement shall take place.

5A.5 Clearing Forms

All Clearing Forms shall be as specified in the relative regulation or in such other form or forms as the relevant authority may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.

5A.6 Settlement Obligations Statements

Clearing Corporation shall facilitate download of relevant data to F&O Clearing Members and Trading Members to enable them to generate Premium Settlement, Other Settlement Obligations Statements pertaining to transactions in different kinds of Index option contracts.

5A.7 Mode of Payment

F&O Clearing Members shall, on the designated pay-in day, have clear balance of funds in their clearing account to the extent of their funds obligation. Provided however the relevant authority may specify different mode of payment of funds for all or any of the F&O Clearing Members.

5A.8 Receipt of Funds

The Clearing Bank shall credit the clearing accounts of the F&O Clearing Members who are due to receive funds as per the instructions of Clearing Corporation. All funds due to a F&O Clearing Member shall normally be credited to his account unless (a) the F&O Clearing Member does not perform his obligations to Clearing Corporation or (b) it is otherwise ordered so by the relevant authority;

Provided however the relevant authority may specify different mode of funds credit for all or any of the F&O Clearing Members.

UNQUOTE

For National Securities Clearing Corporation Limited



R. Jayakumar
Asst. Company Secretary

THE DELHI STOCK EXCHANGE ASSOCIATION LTD.

Regd. Office: DSE House, 3/1, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002

Amendment in the Bye-laws and Regulations of Delhi Stock Exchange Ltd. which is duly approved by Securities & Exchange Board of India vide its letter No. SMD/SA&ID/24105/2001 dt. 27 February, 2001

350. A member shall be deemed to be guilty of unprofessional conduct for any of the following or similar acts or omissions namely :

(xl) Advertisement - if he advertises for business purposes or issues regularly circulars or other business communications to persons other than his own constituents, members of the Exchange, Banks and Joint Stock Companies or publishes pamphlets, circulars or any other literature or report or information relating to the Stock Markets in the public prints with his name attached unless such advertisements, circulars, other business communications, pamphlets, or any other literature or report or information relating to the stock markets and the material contained therein are in accordance with the Regulations or such other guidelines as the Board of Directors may from time to time issue in addition thereto or in modification or substitution thereof and copies thereof are submitted to the Stock Exchange seven days before their issue.

REGULATION - 17**Guidelines for Advertisements by members**

- 17.1 The content of the advertisements, brochures etc. should be related only to the nature of services that stockbroker can offer in respect of sales and purchase of shares and securities only. The advertisement, brochure etc. should not contain recommendations regarding purchase or sale of any particular share or security of any company and or any recommendation regarding any company.
- 17.2 The advertisement, brochure, etc. can be published by a member-broker individually or jointly with other member-broker(s) so as to enable small brokers to pool their resources for publicity.
- 17.3 The advertisement, brochure etc. should mention the name/title as recorded for the membership of the Stock Exchange along with the code number allotted by the Securities and Exchange Board of India. It can also include the names of the sub-brokers affiliated with the broker and registered with the Securities and Exchange Board of India. The broker should also designate and authorise and name the authorised person in the publication to ensure the correctness of the information given in the advertisement, brochure etc. and prior approval of the Stock Exchange should have been obtained in respect of such

authorised person. The authorised person will be specifically responsible when two or more brokers jointly advertise for brokerage business.

- 17.4 a) The members should ensure that any information given in the advertisement, brochure etc. must be correct and accurate and contain matters of objectively ascertainable facts which should be capable of substantiation.
- b) It should not have any adverse reference direct or indirect regarding the reputation of other members of the Stock Exchange and also the Stock Exchange.
- c) The advertisement, brochure etc. should not contain anything which is otherwise prohibited for publication under the relevant Act, unwarranted, misleading information or make any promises. It will contain written words and shall not be assisted by any other visual such as pamphlets and drawing.
- 17.5 The advertisement, brochure, etc. should not include publicity for any party other than the member himself and it should not contain any reference to any person, firm or institution except as provided for in Regulations 17.2 and 17.3.
- 17.6 The member-broker should not allow his/her or his/her firm's name to be advertised by others or allow his/her firm's name to be published in the advertisement of others, except as provided for in Regulations 17.2 and 17.3.
- 17.7 The member broker should submit a copy of the advertisement, brochure etc. to the Stock Exchange authorities and Securities and Exchange Board of India as soon as it is published. The Exchange authorities will have the cease and desist powers in this behalf.
- 17.8 If a member-broker violates any of the above Regulations for the advertisement, brochure, etc. he/she is liable to be penalised for the same by the Stock Exchange authorities and/or SEBI
- 17.9 If the Stock Exchange authorities levy any penalty or take any disciplinary action against the member-broker, e.g. by way of suspension or declaring him/her as defaulter etc., it should be immediately made public by the Stock Exchange authorities, and the concerned member-broker should not advertise during the period of suspension.

Amendment in the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd. relating to Trade Guarantee Fund Bye Laws which is duly approved by Securities & Exchange Board of India vide its letter No. SMD/SA&ID/27312/2001 dt. 20 April, 2001.

Wherever the words "Trade Guarantee Fund" appear in the Bye-laws of the Stock Exchange the same shall be substituted by the words "Settlement Guarantee Fund"

366A : To be Inserted after Bye-law 366

Utilisation For Failure To Meet Obligation

366A Notwithstanding anything contained in Bye-law 366 and other applicable Bye laws, the Board of Directors or the President and Executive Director or in their absence two members of the Board may utilise the Settlement Guarantee Fund and other moneys to the extent necessary to fulfill the obligations of the member who fails to meet his obligations (non fulfillment or partial fulfillment of the funds / securities obligations in a settlement) to the Clearing House of the Exchange arising out of Clearing and settlement operations of such deals as provided in the bye laws and Regulations, before declaring such member a defaulter subject to the following and other terms and conditions as the relevant authority may specify from time to time.

1. The trading facility of the member shall be withdrawn and the securities pay-out due to the member shall be withheld
 - (a) in case where amount of shortage is in excess of the prescribed Base Minimum Capital (BMC)
 - (b) in case where the amount of shortage is more than 20% of BMC but is less than the amount of the BMC, on six occasions within a period of 3 months.
2. (a) The member shall be permitted to trade with a reduced gross exposure as mentioned in the table below only on recovery of the complete shortages.

Cumulative Funds Shortage	Exposure Limit allowed (% of Current exposure Limit)
20% of BMC - 50% of BMC	80%
50% of BMC - 100% of BMC	60%

- (b) This reduced Gross Exposure Level shall be maintained for a period of 4 settlements. In case the cumulative funds shortage for the

next 4 settlements is less than 20% of BMC, the exposure limits shall be restored.

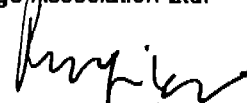
- (c) The exposure limit may be restored if a member provides a cash deposit equivalent to his cumulative funds shortages as the "funds shortage collateral" in his clearing account. Such deposit shall be kept with the Exchange for a period of 4 settlements and will be released only if no further funds shortages are reported for the member in next 4 consecutive settlements.
 - (d) There shall be no exposure benefit nor any interest payment on this amount so deposited as "funds shortage collateral".
 - (e) The "fund shortage collateral" may be deposited by the members by way of cash, FDR or Bank Guarantee.
3. The outstanding amount will carry a penal interest of not less than 0.09% per day.
 4. In case the concerned member fails to deposit the amount utilised by the Exchange from the fund towards meeting his clearing and settlement obligation (non fulfillment or partial fulfillment of funds / securities obligations in a settlement) within a period of 30 days from the date of pay out of that settlement, he will be declared a defaulter.
 5. The provisions of this Bye-law are in addition to and not in derogation of the powers of the Board, President and Executive Director under the Bye-laws Nos. 308, 308A, 381 and 382 and other Bye-laws as applicable.

385A to be Inserted after Bye-law 385

Outstanding contracts in other settlements

385A In respect of any settlement/s which is incomplete at the time when the payment on behalf of a member is made from SGF to meet his obligations (non fulfillment or partial fulfillment of the funds / securities obligations in a settlement) to the Clearing House, the Executive Director may at the risk and cost of such member, square up all or any of the member's outstanding sales and purchase positions by entering into corresponding purchase and sale contracts in the market. The profit or loss on such squaring up shall in the first place be paid to or by the fund and credited or debited by the fund to the concerned members account with the fund.

for The Delhi Stock Exchange Association Ltd.


Rajesh Kapur
Company Secretary

**Changes made in the Articles of Association of the Exchange at the
77th Annual General Meeting held on 26th September, 2000 of the
Calcutta Stock Exchange Association Limited**

- a) A new Article 5(8) be added after the existing Article 5(7) :

5(8) (i) When a Company constituted by more than one member of the Exchange is admitted as a corporate member of the Exchange in place of such member or a corporate member of the Exchange acquires more than one share in accordance with and subject to fulfillment of all other applicable Bye-laws and Regulations of the Exchange including provisions relating to admission of new members, such a corporate member will be known as a Composite Corporate Member and the membership right(s) held by the Composite Corporate Member will be known as Component Membership/s.

(ii) A Composite Corporate Member shall fulfill all eligibility criteria for admission to membership and for contribution of membership as is applicable to corporate members of the Exchange and also such other criteria as the Exchange or Securities and Exchange Board of India may prescribe from time to time.

(iii) A Composite Corporate Member shall not hold more than such number of shares as may be decided by the Committee of the Exchange from time to time.

(iv) The Composite Members shall pay the entrance fee, admission fee, annual subscription and fees payable to SEBI and furnish membership security in respect of each component membership.

(v) The Composite Corporate Member shall maintain the base minimum capital in respect of each Component Membership, in accordance with and subject to the other provisions of the Bye-laws and Regulations and such conditions as the Committee of the Exchange may from time to time stipulate.

(vi) The networth of the Composite Corporate Member shall be computed in the manner prescribed by the Securities and Exchange Board of India and the Committee of the Exchange and no value shall be assigned to the Component Membership for computing the networth of the Composite Corporate Member.

(vii) The Composite Corporate Member shall have only one trading right and only one representative member on the Committee or any Standing Sub-Committee of the Exchange for all the Component Membership/s of the Composite Corporate Member in accordance with the Bye-Laws and Regulations of the Exchange.

(viii) A Composite Corporate Member shall be entitled to have as many voting rights as the number of Component Memberships of the Composite Corporate Member at the meeting of the members of the Exchange

(ix) A Composite Corporate Member may resign from the membership right associated with any of its Component Membership only after a period of two years from the date of the acquisition of that Component Membership by the Composite Corporate Member. All the liabilities, if any, relating to the Component Membership in respect of which the Composite Corporate Member has resigned will continue to be borne by Composite Corporate Member.

(x) If a Composite Corporate Member desires to resign from its Component Membership/s, the Composite Corporate Member may, in accordance with and subject to the other provisions of Bye-laws and Regulations and such conditions as the Committee of the Exchange may from time to time stipulate, nominate a person/s eligible under these rules as a candidate for admission to the membership/s of the Exchange from which the composite Corporate Member is resigning and the Composite Corporate Member may continue in respect of the remaining Component Membership/s, if any.

(xi) The Composite Corporate Member shall maintain only one set of books of account for all the Component Memberships

(xii) Any action by the Securities and Exchange Board of India, the Exchange or any Committee of the Exchange or official of the Exchange against the Composite Corporate Member whether by way of censure, warning, fine, suspension, expulsion, default or withdrawal, suspension or limitation of membership rights or otherwise shall operate against all the Component Memberships of the Composite Corporate Member.

Clarification : Without prejudice to the generality of clause (xii) it is clarified that on declaration of default or expulsion of a Composite Corporate Member for any reason whatsoever, the Composite Corporate Member shall cease to be a member of the Exchange in respect of all its Component Memberships, and all the Component Memberships and rights of nomination in respect of all such memberships shall vest in the Exchange or the Governing Board in accordance with the provisions of these Rules, Bye-laws and Regulations.

(xiii) If a Composite Corporate Member is disentitled to or disqualified from continuing as a member of the Exchange for any reason, the Composite Corporate Member shall cease to be a member of the Exchange in respect of all the Component Memberships, and all the Component Memberships and rights of nomination in respect of all such memberships shall vest in the Exchange or the Governing Board in accordance with the provisions of these Rules, Bye-laws and Regulations.

(xiv) A Composite Corporate Member shall also be entitled to all other rights or privileges and shall be liable to pay any amount to the Exchange or discharge liability or obligation to the Exchange as now applicable/available to an ordinary member notwithstanding non-stipulation of the same in the Bye-laws and Regulations of the Exchange, subject however that such rights, privileges, obligations and liabilities to a Composite Corporate Member shall be in proportion to its Component Memberships.

(b) The existing Articles 25A(e) and 25A(ee) be deleted and the existing Article 25A(f), 25A(g) & 25A(h) be renumbered as 25A(e), 25A(f) and 25A(g) respectively.

(c) The existing Article 45 be deleted and in place the following be substituted as Article 45:

45. "The Committee shall not register any transfer of shares to any person other than a member or a candidate for membership who has been duly elected as eligible for membership under the provision of Article 5 hereof and has paid the full amount of any entrance fee/charges and/or such other sum as may be prescribed by the Committee from time to time and the Committee may refuse to register any transfer of shares to an existing member or may impose such conditions in respect of any such transfer as they may see fit."

(d) In the first para of Article 100 (13) the following sentence "and/or in first debentures or cumulative redeemable preference shares of Joint Stock Companies" be substituted with the following sentence :

"And/or in any other form or mode of investment or deposit as may be prescribed under the Income Tax Act, 1961, and/or Indian Trust Amendment Act, 1908 and 1916 and/or in gilt edged funds and/or....."

(e) The existing Article 101(1)(a)(ii) and 101(1)(a)(iii) be deleted and in place the following be substituted as Article 101(1)(a)(ii) :

101(1)(a)(ii) the Arbitration Sub-Committee shall consist of such members not having less than three and not having more than five as the Committee may from time to time determine, in addition to the President or in his absence the Vice-President and the Executive Director who are ex-officio members thereof by virtue of the provisions of the Articles. The Arbitration Sub-Committee may in its sole discretion appoint a Sole Arbitrator or three or more Arbitrators constituting the Arbitral Tribunal provided however that the number of Arbitrators constituting the Arbitral Tribunal shall always not be an even number.

For THE CALCUTTA STOCK EXCHANGE ASSOCIATION LTD

Secretary

At the meeting of the Committee of the Calcutta Stock Exchange Association Limited on 3rd November, 2000 Bye-laws No.321 of Chapter XVIII regarding application of assets is substituted by the following Bye-law :

321) The Committee shall direct that the net assets remaining in its hands after defraying all such costs charges and expenses as are allowable under these provisions be applied in satisfying first the claims of the Exchange and the Clearing House and SEBI dues if any, and then rateably such admitted claims of members against the defaulter arising out of contracts entered into in the market in accordance with the provisions of the articles, bye-laws and regulations of the Exchange .

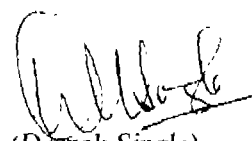
For THE CALCUTTA STOCK EXCHANGE ASSOCIATION LTD

Secretary

Notice in pursuance of section 485 (1) of The Companies Act, 1956

At an Extra-ordinary General Meeting of M/s. Pastor Securities Ltd. duly convened and held at the Registered Office 10, Nehru Bazar, Panchkuian Road, NewDelhi-110055 on the 23rd day of April, 2001 at 11:00 A.M., the following special resolutions passed :

- (1) Resolved unanimously that the Declaration of solvency made as on 23-03-2001 under section 488 of the Companies Act, 1956 by the Board of Directors of M/s. Pastor Securities Ltd. be and is hereby confirmed/approved.
- (2) Resolved unanimously that the Company M/s. Pastor Securities Ltd. be and is hereby wound up as Member's Voluntary winding-up as per the provisions of the Companies Act, 1956.
- (3) Resolved unanimously that Sh. Pritam Dev Singla S/o Late Jagdish Rai, resident of V-13, Green Park Main, New Delhi be and is hereby appointed Liquidator, honorary and he will charge only the actual liquidation expenses.



(Deepak Singla)

Director

M/s. Pastor Securities Ltd.

Date : 24/04/2001

Place : New Delhi

FORM NO. 151

[See Rule 315]

Member's Voluntary Winding-up**Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516**

Name of Company : **Pastor Securities Ltd.**

Nature of business : To deal in Securities/Shares/Debentures

Address of Registered Office : 10, Nehru Bazar, Punchkuian Road,
New Delhi-110055.

Name and address of Liquidator(s) : Mr. Pritam Dev Singla S/o Late Jagdish Rai
V-13, Green Park Main,
New Delhi.

Date of appointment : 23rd April, 2001.

By whom appointed : Members of the Company.


(**Pritam Dev Singla**)
Liquidator

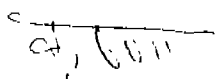
Notice in pursuance of section 485 (1) of The Companies Act, 1956

At an Extra-ordinary General Meeting of M/s. Chetak Transport Private Ltd. duly convened and held at the Registered Office 5-Transport Centre, Punjabi Bagh, New Delhi-110035 on the 23rd day of April, 2001 at 11:00 A.M., the following special resolutions passed :

- (1) Resolved unanimously that the Declaration of solvency made as on 23-03-2001 under section 488 of the Companies Act, 1956 by the Board of Directors of M/s. Chetak Transport Private Ltd. be and is hereby confirmed/approved.
- (2) Resolved unanimously that the Company M/s. Chetak Transport Private Ltd. be and is hereby wound up as Member's Voluntary winding-up as per the provisions of the Companies Act, 1956.
- (3) Resolved unanimously that Sh. Jai Karan Sharma S/o Sh. Jagdish Prasad Sharma, resident of A-1/102, Paschim Vihar, New Delhi-35 be and is hereby appointed Liquidator, honorary and he will charge only the actual liquidation expenses.

Date : 24/04/2001

Place : New Delhi


(Smt. Krishna Sharma)

Director

M/s. Chetak Transport Pvt. Ltd.

FORM NO. 151

[See Rule 315]

Member's Voluntary Winding-up**Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516**

Name of Company : **Chetak Transport Private Ltd.**

Nature of business : Transport/Tour & Travel

Address of Registered Office : 5-Transport Centre, Punjabi Bagh,
New Delhi-110035.

Name and address of Liquidator(s) : Mr. Jai Karan Sharma S/o Sh. Jagdish Prasad
Sharma, A-1/102, Paschim Vihar,
New Delhi-110035.

Date of appointment : 23rd April, 2001.

By whom appointed : Members of the Company.


(**Jai Karan Sharma**)
Liquidator

MATTER TO BE PUBLISHED IN OFFICIAL GAZETTE OF INDIA**FORM NO. 155**

(See Rule 329)

Members' Voluntary winding-up**Pheros & Company Pvt. Ltd.**

Notice concerning final meeting

Notice is hereby given in pursuance of Section 497 that a general meeting of the members of the above named company will be held at 410, New Delhi House, 27-Barakhamba Road, New Delhi-110001 on the 20th day of June 2001 at 10.00 a.m. for the purpose of having an account laid before them showing the manner in which the winding-up has been conducted and the property of the company disposed of and of hearing any explanation that may be given by the liquidator and also of determining by a special resolution of the company the manner in which the books, accounts and documents of the company and of the liquidator shall be disposed of.

Anil Kumar Khanna
08.05.2001 Liquidator

